सरोकारी पत्रकारिता के लिए समर्पित

शैल

निष्पक्ष एवं निर्भीक साप्ताहिक समाचार

ई – पेपर

प्रदेश का पहला ऑनलाईन साप्ताहिक

www.facebook.com/ shailshamachar

वर्ष 43 अंक – 13 पंजीकरण आरएनआई 26040/74 डाक पंजीकरण एच. पी./93/एस एम एल Valid upto 31-12-2020 सोमवार 19 – 26 मार्च 2018 मूल्य पांच रूपए

अदालत से सरकार तक भ्रष्टाचार के खिलाफ सबकी गंभीरता सवालों में

प्रदेश के माननीयों के खिलाफ खड़े हैं 84 आपराधिक मामले

शिमला/शैल। संसद से लेकर राज्यों की विधान सभाओं तक करीब राज्यों में आपराधिक छवि के लोग माननीय बनकर बैठे हैं जिनके खिलाफ भ्रष्टाचार से लेकर गंभीर अपराधों के मामले दर्ज हैं। संसद और विधान सभाओं को ऐसे लोगों से मुक्त करवाने के लिये कोई बार दावे और वायदे किये गये हैं। सर्वोच्च न्यायालय तक ने इस पर चिन्ता व्यक्त की है। ऐसे मामलों को प्राथमिकता के आधार पर दैनिक सुनवाई करके एक वर्ष के भीतर निपटाने के निर्देश सर्वोच्च न्यायालय अधीनस्थ अदालतों को दे चुका है। यहां तक निर्देश रहे हैं कि यदि कोई अदालत एक वर्ष के भीतर मामले को नही निपटा पाती है तो उसे संबद्ध उच्च न्यायालय को उसके कारण बताकर सुनावई के लिये समय की बढ़ौत्तरी की अनुमति लेनी होगी।

2014 के लोकसभा चुनावों के दौरान नरेन्द्र मोदी ने भी संसद को अपराधियों से मुक्त करवाने का वायदा किया था। सरकार बनने के बाद इसे लोकसभा के सदन में दोहराया भी था। लेकिन इस दिशा में कोई कदम नही उठाये क्योंकि भाजपा ने ही सबसे ज्यादा टिकट आपराधिक छवि के लोगों को दिये थे। सर्वोच्च न्यायालय ने आपराधिक मामले झेल रहे माननीयों के मामलों को एक वर्ष के भीतर निपटाने और आवश्यक होने पर इसके लिये विशेष अदालतें गठित करने के निर्देश 2017 में दिये थे। इन निर्देशों के अनुसार ऐसी विषेश अदालतों का गठन मार्च 2018 के शुरू होने तक हो जाना था। दिल्ली आदि कई राज्यों में प्रथम मार्च 2018 से ऐसी विशेष अदालतों ने अपना काम भी शुरू कर दिया है।

लेकिन हिमाचल में अभी तक अदालतों के गठन के लिये न तो उच्च न्यायालय ने कोई सक्रियता दिखाई हैऔर न ही सरकार ने। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों की अनुपालना में सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय को माननीयों के खिलाफ खड़े मामलों की जानकारी उपलबध करवाई है। इस जानकारी के मुताबिक प्रदेश के माननीयों के खिलाफ कुल 84 मामले खड़े हैं। इस जानकारी में इन मामलों को 2014 से पहले के और 2014 से बाद के दो भागों में बांटा गया है। इसके अनुसार 2014 से पहले के 20 मामलें लंबित हैं और 2014 से बाद के 64 मामलें खड़े हैं। गृह विभाग ने कई मामलों को राजनीति से भी प्रेरित करार दिया है। प्रदेश का गृह विभाग 84 मामलों को निपटाने के लिये विशेष अदालत गठित किये जाने का पक्षधर नही है। लेकिन गृह विभाग द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को भेजी गयी जानकारी के मुताबिक 20 मामले ऐसे हैं जो 2014 से पहले के चले आ रहे हैं। यदि यह मामले अपने में गंभीर नही होते या सिर्फ राजनीति से ही प्रेरित होते तो यह अब तक खत्म हो गये होते। लेकिन ऐसा हुआ नही है। जिसका अर्थ है कि यह मामले गंभीर प्रकृति के हैं। इससे यह भी स्पष्ट हो जाता है कि यह मामले दर्ज होने के बाद से अब तक कम से कम दो चुनाव तो प्रदेश में हो ही गये हैं। पहला 2014 का लोकसभा और 2017 का विधानसभा। इससे यह भी स्पष्ट हो जाता है कि 20 मामले झेल रहे माननीय आज भी सदन में मौजूद हैं। क्योंकि यह जानकारी हारे हुए लोगों के बारे में तो सर्वोच्च न्यायालय को नही भेजी जानी थी। इससे यह भी अनुमान लगाया जा सकता है कि यदि आज सभी लंबित 84 मामलों में यदि वास्तव में ही एक वर्ष के भीतर फैसला हो जाता है और इनमें से कुछ एक को सज़ा भी हो जाती है तो प्रदेश की राजनीति का सारा संद्धर्भ ही बदल जायेगा। यदि सभी 84 मामलों का निपटारा सही में ही एक वर्ष के भीतर हो जाता है प्रदेश की राजनीति का तो पूरा ढांचा ही बदल जायेगा। क्योंकि इन माननीयों में वीरभद्र, धूमल,अनुराग ठाकुर, विरेन्द्र कश्यप, राजीव बिन्दल, किशन कपूर, रमेश धवाला, आशा कुमारी, विनय कुमार जैसे कई महत्वपूर्ण नाम शामिल हैं।

सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश माननीयों के मामलों का निपटारा एक वर्ष के भीतर हर हालत में करने का है। विशेष अदालत का गठन तो आवश्यकता पर निर्भर करता है। इसमें तो पहली मार्च तक इनके मामलों के निपटारे के लिये अदालत चिन्हित हो जानी चाहिये थी लेकिन सर्वोच्च न्यायालय को सूचना भेजकर क्या इसमें और समय निकालने का रास्ता नही निकाला गया है। क्या इससे अदालत और सरकार दोनों की ही गंभीरता पर सवाल नही उठ जाते हैं।

जिला जज भी अब तक नही कर पाये सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों की अनुपालना

शिमला/शैल। धर्मशाला के मकलोड़गंज में बीओटी के आधार पर बन रहे बस अड्डा और चार मंजिला होटल तथा शॉपिंग कम्पलैक्स के निर्माण को एक अनुज भारद्वाज ने सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित सीईसी में चुनौती दी थी। इसमें यह आरोप लगाया गया था कि यह निर्माण वनभूमि पर हो रहा है और इसके लिये वन एवम् पर्यावरण अधिनियम के तहत वांच्छित अनुमति नही ली गयी है। इस मामलें पर सीईसी ने अपनी रिपोर्ट 18 सितम्बर 2008 को सर्वोच्च न्यायालय को सौंपी थी। इस रिपोर्ट में पूरे निमार्ण पर कानूनी प्रावधानों की घोर उल्लंघना के गंभीर आरोप लगे है। इस उल्लंघना में पूरे संबद्ध प्रशासन की भी मिली भगत पायी गयी है। इस उल्लंघना के लिये प्रदेश सरकार को एक करोड़ का जुर्माना लगाया गया था और निर्माण कर रही कंपनी मै. प्रशांती सूर्य को ब्लैक लिस्ट किया गया था।

सीईसी की इस रिपोर्ट को प्रशांती सूर्य ने सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी जिस पर मई 2016 में फैसला आया। इस फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने मै. प्रशांती सूर्य को 15 लाख का जुर्माना लगाया और बस अड्डा प्रबन्धन एवम् विकास अथॉरिटी पर दस लाख और पर्यटन विभाग पर भी पांच लाख का जुर्माना लगाया। जुर्माने के साथ इसमें बन रहे होटल और रेस्तरां को गिराने के भी आदेश पारित किये हैं। इसी के साथ प्रदेश के मुख्य सचिव को पूरे प्रकरण की जांच करके बस अड्डा प्राधिकरण के संबंधित अधिकारियों की व्यक्तिगत जिम्मेदारी तय करके उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कारवाई की अनुशंसा की है।

बस अड्डा प्राधिकरण ने सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले की फिर से अपील की। इस अपील की सुनवाई में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने पहले फैसले को संशोधित करते हुए इसकी जांच मुख्य सचिव से लेकर जिला जज धर्मशाला को सौंप दी और चार माह में इसकी रिपोर्ट सर्वोच्च न्यायालय को सौंपने के निर्देश दिये। यह निर्देश 2017 में दिये गये थे और करीब एक वर्ष हो गया है। लेकिन यह रिपोर्ट अभी तक नही जा सकी है। इस संबंध में जब जिला जज के कार्यालय से संर्पक किया तो उन्होने कहा कि उन्हे इसकी जानकारी ही नही है। जिला जज से इस बारे में बात नही हो सकी। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के वावजूद जिला जज द्वारा चार माह में रिपोर्ट न सौंपा जाना प्रशासनिक हल्कों में चर्चा का विषय बना हुआ है। क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय के इन आदेशों के बाद जिला जज द्वारा सरकार से इस मामले में सहायता के लिये एक वकील मांगा गया था जो सरकार ने उपलब्ध करवा दिया था। यह वकील भी एक वर्ष पहले दे दिया गया था लेकिन इसके वाबजूद इसमें अभी तक और कोई कारवाई नही हो पायी है। यदि सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों की अनुपालना तय समय के भीतर जिला जज द्वारा भी न हो पाये तो स्वभाविक रूप से यह चर्चा का विषय तो बनेगा ही। We accordingly modify our order dated 16.05.2016 and direct the District Judge to hold an inquiry into the conduct of all officers responsible for the construction of the bus stand /hotel /accompanying complex and to submit a report to this Court as to the circumstances in which the alleged construction was erected and the role played by the officers associated with the same. The District Judge may appoint a suitable presenting officer to assist him in the matter. We further direct that the Government of Himachal Pradesh and the petitioner authority shall render all such assistance as may be required by the District Judge in connection with the inquiry and produce all such record and furnish all such information as may be requisitioned by him. Needless to say that the District Judge shall be free to take the assistance of or summon any official from the Government or outside for recording his/ her statement if considered necessary for completion of the inquiry. The District Judge is also given liberty to seek any clarification or direction considered necessary in the matter. He shall make every endeavour to expedite the completion of the inquiry and as far as possible send his report before this Court within a period of four months from the date a copy of this order is received by him.

शून्य लागत प्राकृतिक खेती किसानों के लिये सर्वश्रेष्ठ विकल्प: राज्यपाल

शिमला/शैल। राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने किसान समुदाय से अपनी आर्थिकी सुदृढ़ करने के लिए खेतों में सरल एवं लाभदायक तकनीक 'शून्य लागत प्राकृतिक खेती' अपनाने की अपील की।

राज्यपाल हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में एकीकृत हिमालयन अध्ययन संस्थान द्वारा आयोजित जैविक किसान मण्डी कार्यक्रम के उद्घाटन अवसर पर बतौर मुख्यातिथि संबोधित कर रहे थे।

राज्यपाल ने कहा कि मौजूदा परिपेक्ष में रासायनिक कृषि तथा जैविक कृषि की पुरानी प्रथा व्यवहार्य नहीं है। जहां तक रासायनिक खेती का सम्बन्ध है, इसके उत्पाद नुकसानदायी एवं जहरीले होने के साथ-साथ काफी महंगे भी हैं। इसी प्रकार, जैविक कृषि में उत्पादन लागत काफी अधिक है और यह प्रणाली मिट्टी से आवश्यक पोषक तत्वों को सोख लेती है। इसलिए, शून्य लागत कृषि सर्वश्रेष्ठ विकल्प है।

उन्होंने कहा कि आजकल लगभग प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी स्वास्थ्य समस्या से जूझ रहा है और बड़ी मात्रा में दवाईयों का प्रयोग कर रहा है। उन्होंने कहा कि यदि हम देश की प्राचीन कृषि व्यवस्था को अपनाते और विकसित करते हैं तो इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न नहीं होगी।

राज्यपाल ने कहा कि प्रथम तीन वर्षो के दौरान जैविक कृषि का उत्पादन कम होने के कारण गरीब किसानों को इस नुकसान को सहन करना मुश्किल था। उन्होंने कहा कि आजकल जैविक उत्पादों के नाम पर बड़े-बड़े कारखाने स्थापित किए गए हैं और महंगे कृषि उत्पादों को तैयार किया जा रहा है, जिसके चलते किसान प्रत्येक फसल के लिये कर्ज ले रहे हैं।

आचार्य देवव्रत ने कहा कि 'हम रासायनिक कृषि के चलन से भोजन के साथ धीमा जहर ग्रहण कर रहे हैं। हमने जल, वायु तथा प्रत्येक वस्तु को जहरीला बना दिया है।' उन्होंने कहा कि एक रिपोर्ट के अनुसार मिट्टी में कार्बन की मात्रा 0.3 स्तर तक पहुंच चुकी है और यदि यह स्थिति जारी रहती है, हम भावी पीढ़ी को केवल बंजर भूमि ही दे पाएंगे।

राज्यपाल ने कहा कि शून्य लागत प्राकृतिक कृषि किसानों को बचाने तथा उनकी आय को दोगुना करने का एक मात्र उपाय है। इस प्रणाली के अन्तर्गत किसानों को एक पैसा भी खर्च नहीं करना पड़ता, बल्कि बंजर भूमि को फिर से जीवंत बनाना, जल का कम से कम उपयोग, स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित उत्पादन व सुरक्षित पर्यावरण जैसे अनेक फायदे हैं। उन्होंने किसानों से प्राकृतिक कृषि अपनाने के लिए भारतीय नस्ल की गाय पालने का आग्रह किया। उन्होंने किसानों को अपनी आय बढ़ाने के लिए प्राकृतिक खेती अपनाने की अपील की।

इसके पश्चात, राज्यपाल ने एकीकृत हिमालयन अध्ययन संस्थान परिसर में जैविक किसान मण्डी का उद्घाटन भी किया।

हि.प्र. विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. राजिन्द्र सिंह चौहान ने इस अवसर पर राज्यपाल का स्वागत करते हुए कहा कि हमने लगभग 20 प्रतिशत पीने का पानी तथा 26 प्रतिशत जीव व वनस्पति को खो दिया है और यह सब गलत तरीकों को अपनाने के कारण हुआ है। उन्होंने कहा कि हमने विकास को पश्चिमी देशों के साथ जोड़ा है, जो इन सभी समस्याओं का कारण है। उन्होंने राज्यपाल का प्राकृतिक कृषि तथा जल संरक्षण से जुड़े पावन मिशन की शुरूआत के लिए धन्यवाद किया।

राष्ट्रीय तकनीकी अध्यापक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान चण्डीगढ़ के ग्रामीण विकास विभाग के प्रमुख प्रो. उपेन्द्र नाथ रॉय ने जैविक किसान मण्डी के बारे में जानकारी दी और कहा कि इन मण्डियों के माध्यम से किसानों तथा उपभोक्ताओं के बीच सीधा सम्पर्क बनाने के प्रयास किए गए हैं। उन्होंने खाद्यान प्रशिक्षण प्रयोगशाला चण्डीगढ़ के आधुनिकीकरण का सुझाव दिया ताकि रासायनिक पदार्थो के उपयोग को रोका जा सके। उन्होंने किसानों तथा आम जनता के कल्याण के लिए संस्थान की पहल पर भी प्रकाश डाला।

एकीकृत हिमालयन अध्ययन संस्थान के निदेशक प्रो. अरविन्द कुमार भट्ट ने राज्यपाल का स्वागत किया तथा कार्यक्रम की जानकारी दी।

उत्तराखण्ड के जाने-माने पर्यावरणविद् जगत सिंह जंगली ने भी इस अवसर पर अपने विचार रखें।

पंजाब, उत्तराखण्ड तथा हिमाचल के किसानों ने प्राकृतिक खेती के बारे में अपने अनुभव सांझा किए।

HIMACHAL PRADESH
PUBLIC WORKS DEPARTMENT
NOTICE INVITING TENDER

Sealed item rate tenders on form 6&8 are hereby invited by the Executive Engineer, Palampur Division, HPPWD Palampur on behalf of the Governor of H.P for the following work from the approved and eligible contractors enlisted in HP.PWD, (B&R) whose registration stood renewed as per revised rules and also registered under the H.P General Sales Tax Act 1968 so as to reach in his office on or before on **23.04.2018 up to 11.00 AM.** And the same shall be opened on the same day at 11.30 A.M. in the presence of intending contractors or their authorized representatives. The tender documents can be had from his office against cash payment (Non-refundable) on **21.04.2018 up to 4.00 P.M** and the application for issue of tender form shall be received on **20.04.2018 up to 12.00 noon.**
The earnest money in the shape of NSC/FDR/saving account of the Post office/ Bank in H.P duly pledged in favour of the XEN must accompany with each tender. Conditional/ incomplete tenders & tender without earnest money will be summarily rejected. The XEN reserves the right to accept or reject any or all tenders or drop the proposal of tenders without assigning any reasons.

Job No. Name of Work	Estimated Cost(In Rs.)	Earnest Money	Time Limit	Cost of Tender form
1. C/O Health Sub -Centre at Gharana. (SW:- C/O approach road to Sub health centre).	3,11,757/-	6300/-	Three Months	350/-
2. C/O Vetrinary Hospital at Bhawarna. (SW:- Balance work in ground floor).	9,70,285/-	20000/-	Three Months	350/-
3. Balance work of G.S.S School at Chachian, Tehsil Palampur, Distt. Kangra (HP) under RMSA. (SW:- C/O boundary wall alongwith the building).	98,256/-	2000/-	Three Months	350/-

Terms & Conditions:-
Following documents should accompany the application for tenders.
1. Sale tax No. with latest Sales tax clearance certificate.
2. Valid copy of Registration
3. Machinery will be of the contractor where required.
4. Certificate regarding possession of machinery.
5. Telegraphic/Fax tenders are not acceptable.
6. The tender documents can be received by registered/ Insured post which should be received in this office on or before the date of opening of tender by 11.00 A.M positively.
7. Contractor should have successfully executed two works of similar nature of 1/3 amount of estimated cost or similar single work of amount equal to estimated cost during the last preceding three years
8. The Contractor will have to submit affidavit along with application for issue of tender that he has not more than two works in hand . Next tender will be issued only after completion of previous works in hand.

Adv. No.-4420/17-18 **HIM SUCHANA AVAM JAN SAMPARK**

राज्यपाल से एसएसबी संदीक्षा के प्रतिनिधिमण्डल की भेंट

शिमला/शैल। राज्यपाल आचार्य देवव्रत से राजभवन में सशस्त्र सीमा बल वाइव्स वेल्फेयर एसोसिएशन 'संदीक्षा' के प्रतिनिधिमण्डल ने भेंट की।

राज्यपाल ने एसोसिएशन के

माध्यम से चलाई जाने वाली विभिन्न गतिविधियों की सराहना की तथा पीड़ित मानवता की सेवा के लिए एसएसबी चिकित्सा प्रशिक्षण केन्द्र का राज्य रैडक्रॉस के साथ कार्य करने के लिए आग्रह किया, ताकि रैडक्रॉस गतिविधियों को विस्तृत किया जा सके। उन्होने कहा कि एसोसिएशन ने समाज कल्याण में कार्य किया है तथा इसे और प्रभावी बनाने के लिए रैडक्रॉस जैसी संस्थाओं के साथ काम करना चाहिए।

एसोसिएशन की राष्ट्रीय सचिव अमिता नेगी ने प्रतिनिधिमण्डल का नेतृत्व करते हुए राष्ट्रीय स्तर पर चलाई जा रही विभिन्न गतिविधियों बारे अवगत करवाया। उन्होंने राज्यपाल को यह भी बताया कि संदीक्षा का मुख्य उद्देश्य एसएसबी वाइव्स में उपलब्धि हासिल करने का भाव सृजित करना है तथा उनमें प्रबन्धन कौशल का विकास करना है।

एसएसबी चिकित्सा प्रशिक्षण केन्द्र शिमला की अध्यक्षा डॉ. किरण शर्मा ने राज्य स्तर पर चलाई जा रही गतिविधियों बारे जानकारी दी।

एसएसबी के क्षेत्रीय आयोजक शेखर चौधरी ने राज्यपाल को सीमा सुरक्षा बल की सभी गतिविधियों बारे अवगत करवाया।

राज्यपाल का पुलिस बलों से स्वस्थ समाज के निर्माण पर बल

शिमला/शैल। राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने कहा कि समाज में अपराध की प्रवृत्ति हमारी विकृत मानसिकता का परिणाम है, और जहां पुलिस का डंडा मजबूत होता है वहां अपराध का रास्ता स्वत: कमजोर पड़ जाता है।

राज्यपाल शिमला के पीटरहॉफ में दो दिवसीय 46वीं अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस के समापन अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे।

उन्होंने देश भर से आए पुलिस प्रतिनिधियों का हिमाचल में स्वागत करते हुए कहा कि सूचना-प्रौद्योगिकी का युग है और पुलिस में आधुनिक जानकारी की अधिक आवश्यकता है ताकि अपराध पर नजर रखी जा सके। पुलिस के सामने आने वाली चुनौतियों पर इस तरह के सम्मेलनों के माध्यम से चिंतन कर समाधान का रास्ता खोजा जा सकता है। उन्होंने आयोजकों को सम्मेलन के सफल आयोजन की बधाई थी।

राज्यपाल ने कहा कि समाज में फैली विषमताओं का मुख्य कारण व्यक्ति विशेष द्वारा दोहरा चरित्र व जीवन जीना है। उन्होंने कहा कि समाज में आज भौतिक विकास के साथ आध्यात्मिक चिंतन लुप्तप्राय हो गया है और यही कारण है कि अपराध बढ़ गए हैं। आज अपराधी की सोच कानून के जिम्मेवार व्यक्तियों से कहीं आगे है। उन्होंने इसके लिए शिक्षाविदों का आह्वान किया कि वे जिम्मेदारी से अपने कार्य का निर्वहन करें और भावी पीढ़ी में ऐसे

संस्कार दें जिससे सामाजिक चुनौतियां कम हो सकती हैं। उन्होंने कहा कि अपराध को कम करने के साथ-साथ इस बात पर भी चिंतन होना चाहिए कि अपराधी क्यों पैदा हो रहे हैं।

आचार्य देवव्रत ने कहा कि अपराधी प्राकृतिक व स्वभाव से नहीं बनता, बल्कि समाज का ही प्रतिफल है। ये मानवीय विकृतियां हैं। प्राचीन समय में हमारे शिक्षालयों में संस्कारों की शिक्षा दी जाती थी, जहां दिव्य गुणों को देकर मानव का निर्माण किया जाता था। भारत की प्राचीन पद्धतियों में सारी शक्ति इंसान बनाने में लगाई जाती थी। उन्होंने पुलिस अधिकारियों का आह्वान किया कि वे जिम्मेदारी से अपने कार्य का निर्वहन करें, इच्छा शक्ति को मजबूत बनाएं तथा ईमानदारी से कार्य करें तो स्वच्छ समाज के निर्माण में कोई कठिनाई नहीं होगी।

राज्यपाल ने नशे के खिलाफ मुहिम चलाने और अपराधियों के खिलाफ अपने कार्य को व्यवहारिक रूप देने पर बल देते हुए कहा कि इससे युवा शक्ति को बचाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि उस समाज में शांति का वातावरण रहता है जहां कानून व्यवस्था दुरूस्त है।

इससे पूर्व, बी.पी.आर एण्ड डी के महानिदेशक ए.पी. महेश्वरी ने पुलिस के क्षेत्र में शोध, विकास और डॉटा विश्लेषण को प्रगतिशील संगठन का सूचक बताते हुए कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर पुलिस बल एक 'थिंक टैंक' के तौर पर भी कार्य कर रहा है। उन्होंने कहा कि तकनीकी तौर पर हम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जुड़े हैं। आधुनिक शहरों के साथ-साथ हमें ग्रामीण स्तर तक सुरक्षा का वातावरण देने की भी जिम्मेवारी है। क्योंकि, सुरक्षा में ही निवेश संभव है और पर्यटन की आमद भी पुलिस सुरक्षा पर निर्भर करती है। उन्होंने पुलिस और सिविल सोसायटी को मिलकर कार्य करने का आह्वान किया।

इस अवसर पर, उन्होंने 46वीं अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस में पारित 6 प्रस्तावों की भी जानकारी दी। पुलिस महानिदेशक एस.आर मरडी ने राज्यपाल का स्वागत किया तथा पुलिस विज्ञान कांग्रेस की दो दिवसीय कार्यशाला की विस्तृत जानकारी दी।

हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. राजेन्द्र चौहान ने भी इस अवसर पर अपना संबोधन दिया।

शैल समाचार
संपादक मण्डल

संपादक - बलदेव शर्मा
सयुक्त संपादक - जे.पी.भारद्वाज
विधि सलाहकार - ऋचा
अन्य सहयोगी
भारती शर्मा
रजनीश शर्मा
राजेश ठाकुर
सुदर्शन अवस्थी
सुरेन्द्र ठाकुर
रीना
सीता

नवीन मीडिया के उपयोग से मजबूत होगी पुलिस कार्यप्रणाली: मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। राज्य सरकार महिलाओं को सुरक्षित एवं भयमुक्त वातावरण प्रदान करने के लिए वचनबद्ध है ताकि वे राज्य के विकास में योगदान कर सकें। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने यह बात हिमाचल प्रदेश पुलिस विभाग तथा पुलिस अनुसंधान ब्यूरो द्वारा आयोजित 46वीं अखिल भारतीय पुलिस कांग्रेस की अध्यक्षता करते हुए कही।

जय राम ठाकुर ने कहा कि राज्य में उत्कृष्ट कानून एवं व्यवस्था सुनिश्चित बनाना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि सरकार नशे की तस्करी व कारोबार करने वालों, विशेषकर इन गतिविधियों में संलिप्त युवाओं पर अंकुश लगाने पर विशेष बल देगी। उन्होंने कहा कि राज्य में महिलाओं की सुरक्षा के लिए 'गुड़िया हेल्पलाइन' तथा 'शक्ति बटन ऐप' की शुरूआत की गई है। इन पहलों को शुरू करने का उद्देश्य महिलाओं को आपात की स्थिति में तुरन्त सहायता प्रदान करना है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में प्रभावी कानून एवं व्यवस्था सुनिश्चित बनाने के लिए राज्य सरकार आधुनिक तकनीकों का अधिक से अधिक उपयोग सुनिश्चित बनाने के प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य पुलिस विभाग को सीसीटीएनएस परियोजना के क्रियान्वयन के लिए श्रेष्ठ आंका गया है। उन्होंने कहा कि पुलिस की नित्यप्रति की कार्य प्रणाली में तकनीकी का अधिक से अधिक उपयोग करने तथा पुलिस की कार्यशैली को और बेहतर बनाने के लिए 'लीक से परे' की सोच को विकसित करना समय की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया ने संचार के नए माध्यम के रूप में एक बड़ी क्रान्ति लाई है और कानून लागू करने वाली एजेंसियां विभिन्न पुलिस क्रियाकलापों में इसकी संभावना को नजरअंदाज नहीं कर सकती। उन्होंने कहा हालांकि, सोशल मीडिया के बारे में पुलिस तथा नागरिकों की अलग-अलग अनुभव, सोच एवं प्राथमिकताएं हैं, लेकिन यह पुलिस तथा जनता के बीच खाई को पाटने में बहुत लाभकारी सिद्ध हो सकता है।

जय राम ठाकुर ने कहा कि आजकल क्रिप्टो अथवा वर्चुअल करंसी का प्रयोग हो रहा है और कानून लागू करने वाली एजेंसियों को इसे पूरी तरह से समझना होगा और अपराधों में इसके दुरूपयोग को रोकने के लिए आवश्यक रूप से तंत्र विकसित करना होगा। उन्होंने कहा कि विभिन्न प्रकार के अपराधों से निपटने तथा उनका समाधान करने के लिए सूचना-प्रौद्योगिकी की जानकारी होना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि इस स्तर के सम्मेलन न केवल पुलिस के कौशल को बढ़ाने, बल्कि आम जनता को बेहतर सेवाएं प्रदान करने में भी मददगार होते हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि विशेषकर युवा पीढ़ी में नशाखोरी की लत चिन्ता का विषय है। उन्होंने कहा, हालांकि नशीले पदार्थों को जब्त करना इनकी आपूर्ति को रोकने का एक माध्यम है, लेकिन इस सामाजिक बुराई पर पूरी तरह से रोक लगाने के लिए इस प्रकार की फसलों की खेती को समाप्त करना एक बेहतर तरीका है। उन्होंने कहा कि नशीले पदार्थों की आपूर्ति पर रोक लगाने के लिए भांग, अफीम इत्यादि की अवैध फसलों को नष्ट करना रणनीति का मुख्य हिस्सा होना चाहिए।

इसके उपरान्त, मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर विभिन्न जाँच व पुलिस सहायता उपकरणों पर लगाई गई प्रदर्शनी का उद्घाटन भी किया।

पुलिस महानिदेशक एस.आर. मरड़ी ने मुख्यमंत्री तथा अन्य गणमान्य व्यक्ति का स्वागत करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार राज्य के लोगों को श्रेष्ठ कानून व व्यवस्था उपलब्ध करवाने के लिए कृतसंकल्प है। उन्होंने मुख्यमंत्री का राज्य पुलिस को सम्मेलन आयोजित करने के लिए हर सम्भव सहायता प्रदान करने के लिए आभार व्यक्त किया।

महानिदेशक बी.आर.पी. एण्ड डी. ए.पी. महेश्वरी ने भी इस अवसर सम्बोधित किया। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (कानून व्यवस्था) अनुराग गर्ग ने धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया।

सरकार प्रदान करेगी पत्रकार सुनील शर्मा के परिवार को सहायता

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार वरिष्ठ पत्रकार सुनील शर्मा जिनका कुछ दिन पूर्व देहान्त हो गया था, के परिवार के सदस्यों को हर सम्भव सहायता प्रदान करेगी। वे प्रेस क्लब शिमला के सदस्यों को सम्बोधित कर रहे थे। प्रेस क्लब के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री से भेंट कर स्व. सुनील शर्मा के परिजनों को हर सम्भव सहायता प्रदान करने का आग्रह किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि स्व. सुनील शर्मा का आकस्मिक निधन से परिवारजनों को भारी एवं असहनीय क्षति हुई है, लेकिन प्रदेश सरकार उनके साथ है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार स्व. सुनील शर्मा की पत्नी को अध्यापक की नौकरी प्रदान करने की प्रेस क्लब की मांग पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी।

शिमला प्रेस क्लब के अध्यक्ष धनंजय शर्मा ने मुख्यमंत्री से प्रेस क्लब शिमला को पांच लाख रुपये प्रदान करने की मांग की ताकि यह राशि स्व. सुनील शर्मा के परिवार को प्रदान की जा सके।

किशन कपूर की केन्द्रीय मंत्री रामविलास पासवान से भेंट

शिमला/शैल। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले किशन कपूर ने नई दिल्ली में केन्द्रीय उपभोक्ता मामले मंत्री रामविलास पासवान से भेंट की।

किशन कपूर ने केन्द्रीय मंत्री से प्रदेश की वर्ष 2016-17 का लगभग 35 करोड़ 99 लाख रुपये के बकाया उपदान को शीघ्र जारी करने का आग्रह किया। उन्होंने प्रदेश के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली परियोजना को 31 मार्च, 2019 तक बढ़ाने का आग्रह किया।

उन्होंने केन्द्रीय मंत्री से प्रदेश की भौगोलिक परिस्थितियों के मध्यनजर मिट्टी के तेल का कोटा बढ़ाने का भी आग्रह किया ताकि प्रदेश के दूर-दराज क्षेत्र के लोगों को पर्याप्त मात्रा में मिट्टी का तेल उपलब्ध हो सके। उन्होंने अन्नपूर्णा योजना के अन्तर्गत गेहूं जारी करने का भी आग्रह किया।

किशन कपूर ने केन्द्रीय मंत्री से राज्य में खाद्यानों के भण्डारण के लिए और अधिक गोदाम बनाने का भी आग्रह किया। उन्होंने कहा कि राज्य में गोदामों की कमी के चलते उपभोक्ताओं को सार्वजनिक वितरण प्रणाली व अन्य योजनाओं के अन्तर्गत वितरित की जा रही खाद्यान सामग्री को भण्डारण करने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है।

पासवान ने कपूर को आश्वासन दिया कि प्रदेश की लम्बित वर्ष 2016-17 का उपदान शीघ्र जारी करने के प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने सार्वजनिक वितरण प्रणाली परियोजना को आगे बढ़ाने का भी आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि कैरोसीन का कोटा बढ़ाने का मामला केन्द्रीय पैट्रोलियम मंत्रालय से प्रभावी ढंग से उठाया जाएगा। उन्होंने अन्नपूर्णा योजना के अन्तर्गत गेहूं जारी करने के मामले को भी केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय से उठाने का आश्वासन दिया ताकि प्रदेश को इस योजना के अन्तर्गत शीघ्र गेहूं जारी किया जा सके।

कमज़ोर वर्ग के प्रत्येक व्यक्ति को लाभान्वित करना सरकार का लक्ष्य: विरेन्द्र कंवर

शिमला/शैल। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री विरेन्द्र कंवर ने कहा कि हम प्रदेश के ग्रामीण विकास के लिए आपसी समन्वय से कार्य करना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैंने ग्राम पंचायत के उप-प्रधान पद से अपना कार्य आरम्भ किया था और उस समय से मेरे दिमाग में समाज के जरूरतमंद लोगों के कल्याण के लिए अनेक सुझाव है। ग्रामीण क्षेत्रों के बेहतरी के लिए सभी लोगों के कुछ सपने होते हैं। महात्मा गांधी की शिक्षाओं के अनुरूप जमीनी स्तर पर कार्य कर इन सभी सपनों को पूरा करने का यह उपयुक्त समय है।

विरेन्द्र कंवर हिपा में ग्राम विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक व कार्यशाला की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ग्रामीण विकास में विकास खण्ड अधिकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को कार्यक्रमों तथा योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए प्राप्त धनराशि को समय पर उपयोग करना चाहिए ताकि केन्द्र सरकार से धनराशि की अगली किश्त समय पर प्राप्त हो सके। उन्होंने कहा कि केन्द्र द्वारा राज्य के लिए 407 करोड़ रुपये जारी किए जाने की सम्भावना है। उन्होंने अधिकारियों से कलस्टर स्तर पर योजना तैयार करने का भी आग्रह किया। उन्होंने कहा कि प्रत्येक स्तर पर 100 दिनों की योजना की प्रगति की अनुश्रवण के लिए पर्यवेक्षक अधिकृत किए जाने चाहिए। उन्होंने अधिकारियों के प्रशिक्षण पर भी बल दिया ताकि उनके कौशल व ज्ञान में वृद्धि हो सके।

उन्होंने कहा कि जलागम संरक्षण प्रबन्धन, आजीविका मिशन पर बल दिया जाएगा ताकि ग्रामीण लोगों को सुविधा प्रदान की जा सके। कर्मचारी व कामगारों को श्रेष्ठ कार्य के लिए पुरस्कृत किया जाएगा। प्रदेश के अन्तिम छोर पर गरीब से गरीब व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं के लाभ पहुंचाने की भी आवश्यकता है। इस तरह की बैठक विकास में तेजी लाने के लिए साल में दो बार आयोजित की जाएगी। मुख्यमंत्री द्वारा प्रस्तावित बजट में ग्रामीण विकास तथा पंचायती राज पर विशेष ध्यान दिया गया है। उन्होंने कहा कि किसी भी हितधारक द्वारा विभाग के कार्य में तेजी लाने के लिए दिए गए सुझावों व विचारों का स्वागत किया जाएगा।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज सचिव डॉ. आर.एन. बत्ता ने कहा कि विभाग के इंजीनियर कैडर का शीघ्र सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। मनरेगा के अन्तर्गत किए गए कार्यों को प्रोत्साहन दिया जाएगा। फसल कटाई के उपरान्त की सुविधाएं, आपदा प्रबन्धन, वर्षा-शालिका, ग्रामीण हाट और खाद्य पदार्थों व अन्य भण्डारण के लिए विस्तृत योजना तैयार की जाएगी।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के निदेशक राकेश कंवर ने धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया। उन्होंने इस अवसर पर विभाग की विभिन्न गतिविधियों बारे प्रस्तुति भी दी।

उन्होंने लोगों से अपील की है कि यदि वे गरीबी रेखा से नीचे नहीं हैं, तो उन्हें स्वेच्छा से अपना नाम बीपीएल सूची से हटाना चाहिए ताकि केवल पात्र लोग सरकार की विभिन्न योजनाओं व कार्यक्रमों से लाभान्वित हो सके। उन्होंने कहा कि यदि आवश्यक है तो ग्रामीण चुनौतियों की सही तरह से समझने के लिए जमीनी स्तर पर सर्वेक्षण भी किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि विभाग प्रत्येक स्तर पर बेहतर कार्य कर रहा है, परन्तु इन कार्यों को राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शित करने की आवश्यकता है। कई राज्यों ने हिमाचल की तुलना में केवल कुछ कार्य कर बड़े पुरस्कार प्राप्त किए है।

उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़ी सफलता की कहानियां उजागर होनी चाहिए ताकि लोग बेहतर कार्य करने के लिए प्रेरित हो सके। युवाओं को रोज़गार के अवसर उपलब्ध करवाने के लिए मुख्य मंत्री युवा आजीविका योजना को शीघ्र कार्यान्वित किया जाएगा। विभाग ने प्रिया सॉफ्टवेयर व ई-परिवार को आरम्भ कर ई-पंचायत की अवधारणा की भी शुरूआत की है।

अगवा हिमाचली युवाओं की शीघ्र रिहाई के लिए केन्द्र सरकार से आग्रह

शिमला/शैल। राज्य सरकार ने नाईजीरियाई समुद्री लुटेरों के चंगुल से तीन हिमाचली युवाओं की सुरक्षित रिहाई के लिए मामला भारत सरकार से उठाया है।

विदेश मंत्रालय के पश्चिम अफ्रीका डिवीजन को लिखे एक पत्र में राज्य सरकार ने कहा कि कांगड़ा के उपायुक्त द्वारा की गई रिपोर्ट की पुष्टि के अनुसार हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले से सम्बन्ध रखने वाले तीन युवाओं-सुशील कुमार, पकज कुमार तथा अजय कुमार का नाईजीरियाई समुद्री लुटेरों द्वारा अपहरण किया गया है।

मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने नाईजीनियन लुटेरों द्वारा फिरौती के लिए अपहरण किए गए राज्य के तीन युवाओं की सुरक्षित रिहाई सुनिश्चित बनाने के लिए केन्द्र सरकार के हस्तक्षेप की मांग की है। उन्होंने उम्मीद जताई की केन्द्र सरकार शीघ्र कारवाई करेगी तथा बन्धकों को सुरक्षित रिहा करवाएगी। उन्होंने उपयुक्त स्तर पर मामले को उठाकर तुरन्त से प्रभावी कदम उठाने के लिए आग्रह किया है ताकि बन्धकों को तत्काल छुड़ाया जा सके।

मुर्ख लोगो से वाद – विवाद नहीं करना चाहिए क्योंकि ऐसा करने से हम अपना ही समय नष्ट करते है.....चाणक्य

सम्पादकीय

पत्रकार कितना सुरक्षित

दिव्य हिमाचल के शिमला स्थित ब्यूरो चीफ सुनील शर्मा का 19 मार्च को शिमला में उनके आवास पर हृदयगति रूक जाने से देहान्त हो गया है। 47 वर्षीय पत्रकार का इस तरह असमय निधन हो जाना उनके परिवार के लिये तो एक ऐसी क्षति है जिसकी भरपाई हो पाना कतई संभव नही है। लेकिन यह निधन पत्रकार जगत के लिये भी आसानी से भुला दी जाने वाली घटना नही है। वैसे तो मौत एक निश्चित सच है लेकिन इसके वक्त और बहाने की जानकारी किसी को भी नही हो पाती है। यही रहस्य जीवन को चलाये रखने का भी माध्यम रहता है यह भी सच है। ईश्वर सुनील शर्मा के परिवार को इस दुख को सहने की शक्ति प्रदान करे यही प्रार्थना है।

सुनील शर्मा के निधन का समाचार जैसे ही फैला सारे पत्रकार उनके आवास पर पंहुच गये। पत्रकारों के साथ ही लोक संपर्क विभाग के निदेशक और अन्य अधिकारी तथा मीडिया सलाहकार भी पंहुच गये। मुख्यमन्त्री और शिक्षा मन्त्री भी परिवार के साथ दुःख बांटने पंहुचे। लोक संपर्क विभाग ने सुनील शर्मा के पार्थिव शरीर को अन्तिम संस्कार के लिये बिलासपुर ले जाने हेतु पूरे प्रबन्ध किये। जिलाधीश शिमला ने भी इसमें पूरा सहयोग दिया। मुख्यमन्त्री जब शोक व्यक्त करने के बाद वापिस लौटे तो पत्रकारों ने उनसे आग्रह किया कि सुनील शर्मा के परिवार को सहायता देने के लिये सरकार को कुछ व्यवस्था करनी चाहिये। इस व्यवस्था के नाम पर सुनील शर्मा की विधवा को सरकार में कोई समुचित नौकरी दिये जाने की मांग रखी है। प्रैस क्लब में शोक सभा करने के बाद पत्रकारों का एक प्रतिनिधि मण्डल इस संबंध में मुख्यमन्त्री से मिला भी है। मुख्यमन्त्री ने इस संबध में आवश्यक कदम उठाने का आश्वासन भी दिया है।

सुनील शर्मा एक दैनिक समाचार पत्र के ब्यूरो चीफ थे। मीडिया को लोक तन्त्र का चौथा खम्भा माना जाता है। सरकार मीडिया को एक अरसे से सुविधाएं देने का दावा करती आ रही है। सुविधा के नाम पर ही प्रैस क्लब के लिये कार्यालय का स्थान दिया गया है। अब ज़मीन भी दी गयी है और उस पर निर्माण के लिए आर्थिक सहायता भी दी गयी है। पत्रकार हाऊसिंग सोसायटी के नाम जगह दी गयी जहां पत्रकार विहार का निर्माण हुआ है। इस पत्रकार विहार में कितने पत्रकारों के आवास है। कितने पत्रकार वास्तव में ही वहां रह रहे हैं और कितनो ने वहां पर अन्य गतिविधियां चला रखी हैं। कितनों को वहां पर प्लाटों का सही आवंटन हुआ है। इस सबको लेकर राज्यपाल के पास एक शिकायत भी पंहुची हुई है। राज्यपाल ने इस शिकायत को सरकार को कारवाई के लिये भेज दिया है। आज सुनील शर्मा के निधन के साथ इस सारे प्रसंग को इसलिये उठा रहा हूं कि इससे अन्दाजा लगाया जा सकता है कि क्या वास्तव में ही पत्रकारों को सुविधा मिल रही है या नही। क्योंकि यदि वास्तव में ही यह सुविधा मिल रही होती तो सुनील शर्मा की विधवा के लिये नौकरी मांगने की आवश्यकता न आती। पत्रकार हाऊसिंग सोसायटी की तरह कर्मचारियों /अधिकारियों विधायकों एवम् अन्य की हाऊसिंग सोसायटीयां है। इसलिये इसे पत्रकारों को सुविधा देना नही कहा जा सकता। प्रैस क्लब भी इस तरह सुविधा में नही गिना जा सकता। स्वास्थ्य चिकित्सा के नाम पर बीमा सुविधा एक सुविधा है लेकिन इसका लाभ बिमारी की सूरत में ही है।

इसलिये यदि सरकार और समाज वास्तव में ही मीडिया को लोकतन्त्र का चौथा स्तम्भ मानता है तो इसे मजबूत करने और सुरक्षा प्रदान करने की आवश्यकता है। मीडिया को भी व्यवहारिक तौर पर लोकतन्त्र के एक सजग प्रहरी की भूमिका में आना होगा। आज मीडिया की विश्वसनीयता पर सवाल उठते जा रहे हैं। ग्लोबल ट्रस्ट इडैक्स द्वारा पिछले दिनों किये गये सर्वे के अनुसार मीडिया और सरकार पर जनता के भरोसे में लगातार कमी आती जा रही है। कैम्ब्रिज ऐनेलिटिका और फेसबुक को लेकर विश्वस्तर पर अभी जो बहस उठी है वह एक गंभीर सवाल खड़ा करती है। पिछले चुनावों में कैम्ब्रिज ऐनेलिटिका का इस्तेमाल करने पर भाजपा और कांग्रेस दोनो एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। फेसबुक को लेकर भी इन दोनों पार्टियों ने गंभीर आशंकाएं व्यक्त की हैं और फेसबुक को चेतावनी भी जारी की है। मीडिया जब अपनी सही भूमिका को छोड़कर कवेल व्यापार बनकर काम करता है प्रायोजित हो जाता है तब अन्ततः समाज और सरकार दोनो का ही अहित होता है। आज मीडिया पर पूंजीपति घरानो का कब्जा बढ़ता जा रहा है। अब तो सरकार ने मीडिया में विदेशी निवेश को पूरी छूट दे दी है। इस परिदृश्य में पत्रकार कितनी देर अपनी निष्पक्षता को बनाये रखेगा यह एक बड़ा सवाल खड़ा होता जा रहा है।

पत्रकार जब अपनी निष्पक्षता को छोड़कर केवल प्रायोजित माऊथपीस होकर रह जाता है तब वह जनता का भरोसा खोना शुरू कर देता है। हमारे ही प्रदेशों में इसका स्पष्ट उदाहरण है कि शान्ता, वीरभद्र और धूमल तीनो के ही गिर्द एक पत्रकार विशेष का वर्ग घूमता रहा है। इनका सलाहकार होने का दावा करता है। मीडिया सरकारों को सर्वश्रेष्ठता के आवार्ड देता रहा है लेकिन इस सबका परिणाम यही रहा कि कोई भी लगातार दूसरी बार सत्ता में वापसी नही कर पाया। सबके घोषित अघोषित मीडिया सलाहकार रहे हैं और परिणाम सबके सामने रहा है। आज इस दुःखद अवसर पर यह सारा प्रसंग उठाने की आवश्यकता इसलिये मान रहा हूं कि जयराम सरकार ने भरोसा दिया है कि वह इस परिवार की सहायता के लिये अवश्य ही कुछ करेंगे। इसलिये यह आशा और आग्रह है कि इस संद्धर्भ में कोई स्थायी नीति बनाई जाये जो स्वतः ही हर पत्रकार पर लागू हो जाये। किसी के लिये भी अलग से कोई आग्रह न करना पड़े। इसके लिये सरकार को अपनी मीडिया पॉलिसी पर नये सिरे से विचार करना होगा जिसमें मीडिया के दुरूपयोग भी स्वतः ही रूक जाये इसके लिये अलग से चिन्ता करने की आवश्यकता ही न रहे। आज सुनील की विधवा के लिये रोज़गार मांगने की आवश्यकता क्यों आ रही है क्योंकि जिस घराने में वह काम कर रहे थे उसकी ओर से ऐसा कोई ऐलान नही आया है।

विश्व जल दिवस

जब नदी ही नहीं रहेगी

जल संकट पर 'चिर परिचित कविता चारों ओर जल ही जल पर नहीं एक बूंद प्यास बुझाने को' आज जल को लेकर वर्तमान संदर्भ तथा भविष्य को पूरी तरह चरितार्थ करती है। ''डा के राकेश''

यद्यपि विश्व का तीन चौथाई केवल जल है मगर इस का केवल 3% ही स्वछ पेयजल के रूप में उपलब्धता है जिस का 2/3 हिमखण्डें यानी ग्लेशियर्स और बर्फ रूप में जमा रहता है और केवल 1% ही मानव उपयोग और उपभोग हेतु उपलब्ध है।

2018 में दक्षिणी अफ्रीका के शहर केप टाउन को पेयजल उपलब्धता के बिना रहने वाले विश्व के पहले महानगर का खिताब मिला तो ब्राजील के सॉपाउलो शहर के नागरिकों ने पेय जल की तलाश में अपने घरों की के बैसमेंट्स, और पार्किंग तक खोद डाली। ऐसे मंजर आगामी कुछ वर्षो में आम होने वाले हैं। जल और विशेष रूप से पेय जल को लेकर एक अति भयानक परिदृश्य हमारे सामने आता जा रहा है। पेय जल की बर्बादी और दुरूपयोग को यदि रोका नहीं गया तो, वो दिन दूर नहीं है विश्व की आधी आबादी को जल के बिना ही रहना पड़ेगा और बोतल बंद पानी भी अमूल्य धरोहर बनकर शायद अजायबघरों तक सिमट जायेगा।

रहीमन पानी राखिबो बिन पानी सब सून
पानी गए न उबरे मोती मानस चून।

जल के महत्व का यह दर्शन मानव के अस्तित्व का भी परिचायक है मगर उपभोक्ता वादी संस्कृति ने जल को भी नहीं बख्शा है। नदी- नालों और प्राकृतिक जल संसाधनों के दोहन को लेकर जल विवाद ट्रिब्यूनल तक गठित करने पड गए। कावेरी, नर्मदा, देश के भीतर तो सिंधु, ब्रह्मपुत्र, गंगा-तीस्ता, सतलुज, चिनाब, काली -गंडक भारतीय उप महाद्वीप के पड़ोसी राष्ट्रों के साथ मात्र जल संसाधनों के बंटवारे को लेकर सुर्खियों में हैं।

भारत की जीवन दायनी कही जाने वाली गंगा है जिसे गंगा मां का दर्जा हासिल यूं ही नही है, को धरती पर लाने में जितना कठिन भागीरथी प्रयास रहा होगा तो उस की निर्मलता को लेकर गंगा सफाई अभियान में शायद उस से गंभीर और ध्येयनिष्ठ भागीरथी प्रकल्पित कार्ये की जरूरत आज है मगर अरबों फूंक कर भी हम इसे हासिल नहीं कर पाए क्योंकि इस में जन आंदोलन, यानी लोक सहभागिता नहीं जोड़ा गया।

'हम लोगों के लिए योजना बनाते हैं मगर लोगों के साथ नही।' स्व बाबा आमटे का यह कथन सभी

जल योजनाओं पर लागू होता है ।

नर्मदा बांधा, भाखड़ा, कोल, पोंग, कावेरी, पेरियार, बांधों की तकनीकी आयु लगभग समाप्त होने पर भी विस्थापन का दंश झेल रहे नागरिकों की फेहरिस्त लम्बी होती जा रही है तो, गंगा की अलकनन्दा, गंगोत्री, भागीरथी का अस्तित्व, ग्लेशियर के कम होने और अंधाधुन्द उत्खनन, जल विद्युत परियोजनाओं के कारण ही समापती के कगार पर है। दिल्ली में यमुना को देख कर उसे नदी कहने से डर लगता है। यह सब नदियां सिर्फ जल स्त्रोत और जल विद्युत संसाधन मात्र ही नहीं हैं। अपितु एक सभ्यता और संस्कृति की पोषक हैं परियायक हैं। गौमुख से गंगासागर तक, सिंधु और नील घाटी सभ्यताओं की तरह। परन्तु जब नदी ही नहीं रहेगी तो सभ्यता कैसे बचेगी?

himalye क्षेत्र के 25 बड़े ग्लेशियरों के 20 वर्षीय अनुसंधान (ICMOD) द्वारा प्राप्त तथ्यों ने उजागर किया है के इन सब की आयु और लम्बाई निरंतर घाटी जा रही है ।

भारत जैसे देश में जहां 66% आबादी कृषि आधारित जीवन यापन करती है और कृषि 70% से अधिक वर्षा यानी मानसून पर निर्भर रहती है उस देश में जल संचयन -उपभोग -उपयोग और जल के सामरिक महत्व को समझना बहुत ही जरुरी है।

देश की ऊर्जा आवश्यकता के लिए जल विद्युत परियोजनाएं जरूरी हैं मजबूरी नहीं। जल विद्युत दोहन में 'रन ऑफ रिवर' परियोजनाएं, तथा सिंचाई में फ्लो irigation के स्थान पर टपक, फवारा, खुली नहरों और प्रवाह खालों/ कुहलो के स्थान पर स्टाककेबल कुहलें, पाईप सिंचाई, के अतिरिक्त कृषि और फसलों की किस्मों, खेती के तरीकों का भी जल प्रबंधन में महत्व है। कृषि के नए तरीकों और कम पानी या शुष्क खेती वाले बीजों पर अनुसंधान और इनका लैब टू लैंड पहुंचना भी उतना ही जरूरी है।

पारम्परिक एवम प्राकृतिक जलस्त्रोतों, खाती, बावड़ी, सोते, चश्मे, उत्तर भारत में तो, दक्षिण भारत में तालाब, ग्रामीण सामाजिक एवं कृषि अर्थव्यवस्था के वह अंग थे जिन को बिसार दिया गया और इस के पीछे कथित रूप से सिंचाई एवं जल कल/ पेयजल विभाग के साथ ठेकेदारों के तंत्र की बड़ी भूमिका है, जिस ने लोक सहभागिता को समाप्त कर सरकार और तंत्र की स्वार्थसिद्धि का कारक बना दिया। जितने संशोधित और स्वच्छ पेय जल की बर्बादी और दुरूपयोग हमारे देश में होता है शायद किसी और विकसित देश में होता तो समस्त तंत्र को फांसी पर चढ़ा दिया होता। आईपीएल जैसे आयोजनों पर, 2-3 बीघा में फैले आवासों / विला और फार्म हाउस के लॉन को लाखों लीटर जल से हरा भरा रखना वह भी उन राज्यों में जहां लोग पानी की 4 बाल्टियों के लिये दस घंटे टैंकरों के सामने कतार में लगें या फिर 2 मटका पानी के लिए घर की महिलाएँ मजबूरन 8-10 कोस तक यात्रा करें। यह स्थिति उन राज्यों में और भी भयावह है जहां कर्जायुक्त किसान अतिवृष्टि, अनावृष्टि, सूखे से बचने के लिए सिंचाई के पानी से न सिर्फ महरूम है, अपितु आत्महत्या तक कर रहा है। अकेले महाराष्ट्र जैसे सम्पन्न राज्यो में मात्र गत 3 सालों में। यह आंकड़ा 14000 को पार कर गया।

जल, जंगल, जमीन बचेगा जीवन बचे यह तीन। इस नारे को अब मूर्त रूप देने का समय आ गया है वर्ना गालिब का शेर, आने के वक्त तो तुम कहीं रहे अब आये तो फायदा क्या जब हम ही नहीं रहे'' मानव जाति पर खरा उतर जाएगा। इस लिए जल संसाधन संवर्धन, संचयन और संरक्षण को जनांदोलन बनाना धरती के भविष्य के लिए जरूरी ही नहीं मजबूरी है। **because ultimately we may reach on Mars & moon. we are no going to eat cars.**

पांच वर्षों का रिपोर्ट कार्ड मांगने पर भारी संकट में पड़ सकता है विपक्ष:मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने कहा कि राज्य के लोगों की वर्तमान राज्य सरकार से बहुत अपेक्षाएं हैं, इसलिए सरकार का उत्तरदायित्व कई गुणा बढ़ गया है। मुख्यमंत्री जिला ऊना में दौलतपुर चौक पर एक विशाल जनसभा को सम्बोधित कर रहे थे।

जय राम ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार ने सत्ता सम्भालते ही समाज के प्रत्येक भाग तथा प्रत्येक क्षेत्र के कल्याण तथा विकास के लिए कार्य करना शुरू कर दिया था। उन्होंने कहा कि सरकार प्रदेश के लोगों को उत्तरादायी, जवाबदेह तथा भ्रष्टाचारमुक्त शासन प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वेष की भावना से कार्य नहीं करेगी, लेकिन भ्रष्टाचार किसी भी कीमत पर नहीं सहन नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टोलरेंस नीति के साथ काम कर रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने अपने पहले ही निर्णय में हजारों वृद्ध व्यक्तियों को लाभान्वित करने के लिए वृद्धावस्था पेंशन की आयु सीमा को 80 वर्ष से घटाकर 70 वर्ष किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने पूर्व सरकार द्वारा अन्तिम छ: महीनों में लिए गए सभी निर्णयों की समीक्षा करने का भी निर्णय लिया। उन्होंने कहा कि पूर्व

सरकार द्वारा निरर्थक व्यय करने के कारण आज राज्य पर 46,500 करोड़ रुपये के कर्ज का बोझ है। उन्होंने कहा कि विपक्ष द्वारा वर्तमान सरकार के तीन महीने के कार्यकाल का रिपोर्ट कार्ड मांगना आश्चर्यजनक है। यदि वर्तमान राज्य सरकार पूर्व सरकार के पांच वर्षों के कार्यकाल का रिपोर्ट कार्ड मांगती है तो विपक्ष भारी संकट में पड़ सकता है।

उन्होंने कहा कि पूर्व सरकार द्वारा की गई अधिकतर घोषणाएं बिना किसी बजट प्रावधान से की गई थी।

इसके उपरान्त मुख्यमंत्री ने 21.13 करोड़ रुपये की लागत से नंगल-मुबारकपुर-तलवाड़ा सड़क के मुबारकपुर-मारवाड़ी भाग के सुधार तथा सुदृढ़ीकरण की आधारशिला रखी। इसके पूरे होने से क्षेत्र के लगभग 14 गांवों की 35 हजार की आबादी लाभान्वित होगी। मुख्यमंत्री ने 3.70 करोड़ रुपये की लागत से ग्राम पंचायत कुनेरन, ग्राम पंचायत बाहादेरकली के छुटे गए क्षेत्रों, फतेहपुर, जवाल, मावा कोहलां, गौंदपुर बनेहरा के लिए संयुक्त जल आपूर्ति योजना की आधारशिला भी रखी।

2025 तक क्षयरोग को समाप्त करने के लिए वचनबद्ध सरकार:मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने विश्व क्षयरोग दिवस के अवसर पर ऊना में मुख्यमंत्री क्षयरोग निवारण योजना के अंतर्गत 'क्षयरोग मुक्त हिमाचल अभियान' का शुभारंभ करते हुए कहा कि राज्य सरकार 2025 तक क्षयरोग का उन्मूलन करने के

लिये वचनबद्ध है। उन्होंने कहा कि इसके लिये सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता है।

उन्होंने कहा कि किसी समय क्षयरोग को लाईलाज बीमारी माना जाता था, लेकिन उपयुक्त एवं समयबद्ध उपचार से अब इसका ईलाज संभव है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग ने इस बीमारी के बारे में जागरूकता उत्पन्न करने का सराहनीय कार्य किया है। उन्होंने कहा कि इस बीमारी के प्रति सामाजिक लांछन व गल्त धारणा काफी हद तक समाप्त हो चुकी है। उन्होंने कहा कि समाज से क्षयरोग के निवारण के लिये जागरूकता आवश्यक है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार क्षयरोग को पूरी तरह समाप्त करने के लिये विभाग को हर संभव सहायता प्रदान करेगी। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो राज्य को क्षयरोग मुक्त बनाने के लक्ष्य को हासिल कर सकता है। उन्होंने क्षयरोग के उन्मूलन तथा इसे इतिहास बनाने के लिये विभाग को समर्पण तथा प्रतिबद्धता के साथ कार्य करने को कहा।

इस अवसर पर क्षयरोग उन्मूलन कार्यक्रम पर एक लघु पुस्तिका का भी विमोचन किया गया।

मुख्यमंत्री ने नर्सिंग कालेज के विद्यार्थियों को इस अवसर पर पुरस्कार भी वितरित किए।

स्वास्थ्य मंत्री विपिन सिंह परमार ने कहा कि राज्य सरकार क्षयरोग को 2025 तक राज्य से समाप्त करने के लिये कृतसंकल्प है। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य 'यूनाईट टू एंड टीबी' (क्षयरोग का खात्मा करने के लिये एकजुट) है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश लोगों को क्षयरोग के लिये गुणात्मक चिकित्सा उपचार प्रदान करने में अन्य राज्यों से बेहतर है। उन्होंने कहा कि क्षयरोग निवारण के लिये बजट में दो करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

स्वास्थ्य निदेशक डा. बलदेव ठाकुर ने स्वागत करते हुए विभाग की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रदेश इस कार्यक्रम को शुरू करने वाला देश का पहला राज्य है।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री वीरेन्द्र कंवर, सांसद अनुराग ठाकुर, भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष सतपाल सत्ती, विधायक बलवीर चौधरी, पूर्व मंत्री प्रवीण शर्मा सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

पूर्व सरकार में था सेवानिवृत तथा थके हारे अधिकारियों का बोलबाला:मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान 2500 किलोमीटर सड़कों को पक्का करने का लक्ष्य रखा है तथा आगामी वित्तीय वर्ष के लिए प्रस्तावित बजट में 100 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बजट प्रावधान किया है।

मुख्यमंत्री जिला ऊना के पंडोगा में एक विशाल जनसभा को सम्बोधित कर रहे थे। इससे पूर्व उन्होंने गांव मदनपुर को जाने वाले ऊना-पिरनीगाह-बिहरू सम्पर्क मार्ग पर पदेहल खड्ड के ऊपर 100 लाख रुपये से निर्मित होने वाले पुल की आधारशिला रखी। उन्होंने कहा कि इस 22 मीटर लम्बे पुल से तीन गांवों के 2500 से भी ज्यादा लोग लाभान्वित होंगे। उन्होंने बेहदाला-छतरा-पिरनीगाह सड़क पर छतर खड्ड के ऊपर 150 लाख रुपये की लागत से निर्मित पुल तथा होशियारपुर सड़क पर पनडोगा खड्ड के ऊपर 332 लाख रुपये की लागत से निर्मित पुल का भी लोकार्पण किया।

इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने नगर निगम पार्क ऊना में राष्ट्र को स्मारकीय राष्ट्रीय ध्वज समर्पित किया। यह 143 फुट लम्बा राष्ट्रीय ध्वज प्रदेश का सबसे लम्बा राष्ट्रीय ध्वज है।

जय राम ठाकुर ने कहा कि भूतपूर्व सरकार ने अपने कार्यकाल के अन्तिम दिनों के दौरान 16 डिग्री कॉलेज खोले तथा प्रत्येक कॉलेज के लिए केवल एक लाख रुपये का प्रावधान किया। उन्होंने कहा कि पूर्व सरकार ने सत्ता पर कब्जा बनाए रखने के लिए हर सम्भव प्रयास किया। यहां तक कि प्रदेश में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र ऐसे स्थान पर खोला गया जो कि राज्य में विद्यमान ही नहीं है। उन्होंने कहा कि भूतपूर्व सरकार के कार्यकाल के दौरान सेवानिवृत तथा थके हारे अधिकारियों का बोलबाला था।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के लोगों ने राज्य में भाजपा को भारी बहुमत से विजयी बनाया है, जिसका श्रेय प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति को जाता है। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार प्रदेश के लोगों को पारदर्शी तथा उत्तरदायी प्रशासन प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि सरकार ने प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा के लिए गुड़िया हेल्पलाइन तथा विभिन्न माफिया गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए होशियार सिंह हेल्पलाइन को आरम्भ किया।

उन्हाने नगनोली से हरीजन बस्ति के लिए सम्पर्क मार्ग के निर्माण

के लिए 2.80 करोड़, पंजवार बथारी सड़क के निर्माण के लिए 1.28 करोड़, सन्तोषगढ़ पोलिया से बटकलां सड़क के निर्माण के लिए 1.20 करोड़ रुपये की घोषणा की। उन्होंने मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत सुबुवाना-बालीवाल सड़क के निर्माण तथा सड़कों की वार्षिक मुरम्मत के लिए तीन करोड़ रुपये प्रदान करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि बीट सिंचाई योजनाओं के निर्माण के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध करवाई जाएगी। उन्होंने क्षेत्र के लिए 25 टयूबवेल की घोषणा की। उन्होंने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला पंडोगा में वाणिज्य कक्षाओं की घोषणा की। उन्होंने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला पलकवाह में वाणिज्य और विज्ञान संकाय की कक्षाएं आरम्भ करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के लिए कमांड विकास निधि के अंतर्गत 6 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि उपलब्ध करवाई जाएगी। उन्होंने कहा कि श्रमिक छात्रावास बाथु का उचित उपयोग किया जाएगा। उन्होंने कहा कि नदी नालों की चैनेलाईजेशन का मामला शीघ्र उठाया जाएगा। उन्होंने कहा कि क्षेत्र की विभिन्न राजकीय पाठशालाओं के भवनों के निर्माण को शीघ्र पूरा करने के लिए 5.20 करोड़ रुपये प्रदान किए जाएगे।

इसक उपरान्त मुख्यमंत्री ने बंजल दियोली, बदेहरा, राजपूतान नकरोह, ओइल तथा शिवबाड़ी गांवों के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अन्तर्गत 360.14 लाख रुपये की लागत से इसपुर में निर्मित होने वाली ऊठाउ सिंचाई योजना की आधारशिला रखी।

उन्होंने 229.50 लाख रुपये की लागत से डॉ. बी.आर. अम्बेडकर राजकीय पोलटैक्निक अम्बोटा के 50 बिस्तरों वाले कन्या छात्रावास भवन का भी लोकार्पण किया।

भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती ने कहा कि करोड़ों रुपये की परियोजनाओं के लोकार्पण तथा शिलान्यास करने से मुख्यमंत्री का दो दिवसीय दौरा प्रदेश के लोगों के लिए बेहद सार्थक सिद्ध हुआ है। उन्होंने कहा कि भूतपूर्व सरकार ने क्षेत्र के विकास के लिए कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया। उन्होंने कहा कि राजनैतिक हित प्राप्त करने के स्थान पर क्षेत्र के लोगों की आवश्यकताओं के अनुसार विकास किया जाना चाहिए।

प्रो. राम कुमार ने मुख्यमंत्री का स्वागत करते हुए उन्हें हरोली क्षेत्र से सम्बन्धित विभिन्न विकासात्मक मांगों से अवगत करवाया। उन्होंने मुख्यमंत्री से विधानसभा क्षेत्र में नशा माफिया पर नकेल कसने का आग्रह किया।

टीबी से हर साल दुनिया में 17 लाख मौतें विश्व टीबी दिवस पर बोले अनुराग ठाकुर

शिमला/शैल। हमीरपुर सांसद और टीबी उन्मूलन के ग्लोबल फंड चैंपियन अनुराग ठाकुर ने विश्व टीबी दिवस के मौके पर लोगों टीबी के खिलाफ छिड़ी जंग में उनका सहयोग करने की अपील की है। अनुराग ठाकुर ज्यादा से ज्यादा जागरूकता फैला कर और कई कैंपेन और चिकित्सा शिविरों के माध्यम से टीबी के खात्मे के लिए प्रतिबद्ध हैं।

'ग्लोबल फंड' मलेरिया, एड्स और टीबी के उन्मूलन के लिए पूरी दुनिया के विभिन्न एनजीओ और सरकारों के साथ मिलकर अच्छे स्वास्थ की वकालत करने वाला सबसे बड़ा संगठन है।

विश्व टीबी दिवस के अवसर पर बोलते हुए अनुराग ठाकुर ने कहा 'टीबी जानलेवा बीमारी है, और आज, विश्व टीबी दिवस पर हम सभी को साथ मिलकर व्यापक जागरूकता पैदा करने और इस से लड़ने की जरूरत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल में ही दिल्ली में टीबी उन्मूलन शिखर सम्मेलन में भारत को 2025 तक पूरी तरह से टीबी मुक्त करने का लक्ष्य रखा है जबकि वैश्विक लक्ष्य 2030 का है। केंद्र सरकार ने मौजूदा बजट में टीबी रोगियों के पोषण के लिए सहायता स्वरूप 600 करोड़ रुपये की राशि भी आबंटित की है।

अनुराग ठाकुर ने कहा 'टीबी भारत में बहुत तेजी से अपने पैर पसार रहा है। टीबी के 27 लाख मामले, इस रोग से 4.2 लाख लोगों की मौत और प्रति 1 लाख लोगों में 211 नए इंफैक्शनों के कारण भारत इस बीमारी को लेकर दुनिया में एक बड़ी संख्या वाला देश है। एक अनुमान के अनुसार दुनिया में टीबी के 1 करोड़ मरीज ऐसे हैं, जो अन्य लोगों में भी इस रोग को फैला रहे हैं। टीबी के कारण हर साल दुनिया में 17 लाख मौतें होती हैं। इन आँकड़ों से ही रोग की स्थिति समझ में आ जाती है। आँकड़े भयावह हैं और हम अपने सामूहिक प्रयासों से ही इस बीमारी को जड़ से उखाड़ सकते हैं। हमनें कैंपेन के जरिए टीबी के बारे में जागरूकता अभियान चला रखा है और आगे भी कई कार्यक्रमों के माध्यम टीबी के खिलाफ अपनी जंग जारी रखेंगे। याद रखें टीबी लाइलाज नहीं है।

नौणी विवि में मनाया अंतर्राष्ट्रीय विश्व जल दिवस और वन दिवस

शिमला/शैल। डॉ वाईएस परमार औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय,नौणी के पर्यावरण विज्ञान विभाग के स्पेस क्लब ने यूनिवर्सिटी परिसर में विश्व जल दिवस मनाया। इस समारोह का विषय 'प्रकृति के

लिए जल – 21 वीं सदी में पानी की चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रकृति आधारित समाधान'रहा। क्लब के सदस्यों ने राज्य में बढ़ती सतह और भूजल प्रदूषण पर प्रकाश डाला और बताया की कैसे औद्योगिक और नगर के दूषित पानी प्राकृतिक स्रोतों में प्रवेश कर रहे हैं और वनस्पतियों और जीवों पर इसका प्रभाव पड़ रहा है।

इस अवसर पर पर्यावरण विज्ञान के विभागाध्यक्ष डा. एस. के भारद्वाज ने कहा कि औद्योगीकरण और शहरीकरण के कारण प्रदूषित जल के प्रभावों का सामना मानव स्वास्थ्य को करना पड़ रहा है। उन्होनें बताया कि पानी सबसे मूल्यवान संसाधन और पारिस्थितिकी तंत्र का एक अनिवार्य अंग है, लेकिन अगर समय रहते इसका महत्व नहीं समझा गया तो साफ पानी जल्दी ही एक दुर्लभ वस्तु बन जाएगा।

डा. एम.के. ब्रह्मी और डा. अजय सिंह ने प्रकृति के संरक्षण,वन संपदा का उपयोग और पानी की स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए अधिक से अधिक पेड़ लगाने की आवश्यकता की बात कही। सर्गुन कौर ने बताया कि भारत में, प्रति घर में प्रति दिन 150 से 200 लीटर पानी कीखपत होती है। यह आकड़े हिमाचल प्रदेश में 135 लीटर प्रति दिन शहर में और 90 लीटर ग्रामीण इलाकों में है जिसे 20 से 30 लीटर तक घटाया जा सकता है। इसके लिए सिर्फ सरल जीवन शैली परिवर्तनों को अपनाने के की जरूरत है।

अपूर्वा शर्मा ने पानी के संरक्षण के लिए कई तरीकों का विवरण दिया, जिसमें शौचालयों में संशोधित फ्लश सिस्टम का इस्तेमाल और स्नान के दौरान अलार्म का उपयोग ताकि पानी की खपत को कम किया जा सके। इस मौके पर विश्वविद्यालय के 16 विभिन्न विभागों के विभागाध्यक्ष द्वारा एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव भी पारित किया गया जिसके तहत उनके संबंधित प्रयोगशालाओं में आसुत जल बनाने की प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न जल के अपव्यय को कम किया जा सके और प्रक्रिया के दौरान उत्पादित अपशिष्ट जल का पुन: उपयोग किया जा सके। विश्वविद्यालय के छात्रों और कर्मचारियों ने अंतरराष्ट्रीय वन दिवस भी मनाया और जंगलों के संरक्षण के प्रति वचन दिया।

स्वां नदी तटीयकरण के लिए 32.86 करोड और मंजूर

शिमला/शैल। अनुराग ठाकुर ने जल संसाधन विकास मंत्री नितिन गडकरी से मिल कर स्वां नदी के तटीयकरण के पाँचवे चरण के लिए 32.86 करोड़ रुपए और मंजूर कराए, जिसकी मदद से इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी।

अनुराग ठाकुर ने कहा – जिला ऊना में विनाश की पर्याय बनी स्वां नदी को खुशहाली की नदी बनाने के लिए मैं लगातार प्रयासरत हूँ। स्वां नदी के तटीयकरण के पाँचवे चरण के लिए केंद्र सरकार को वर्ष 2017 – 18 के लिए 87.50 करोड़ रुपए जारी करने थे। केंद्र सरकार ने इस 87.50 करोड़ रुपए में से से 54.65 करोड़ रुपए पिछले वर्ष के अक्तूबर में जारी किए थे, और आज इसका बाकी हिस्सा 32. 86 करोड़ रुपए भी केंद्र सरकार ने जारी कर दिए। इन राशि के जारी होने से प्रोजेक्ट के विकास में तेजी आयेगी और इसका लाभ आम जनता को मिलेगा।

अनुराग ठाकुर ने कहा भाजपा ने ही सबसे पहले स्वा नदी के विनाश के दर्द को समझा और उस समय बतौर सांसद प्रेम कुमार धूमल ने स्वा तटीयकरण के कार्य का जो सपना देखा उसे उन्होंने 2000 में बतौर मुख्य मंत्री प्रथम चरण में 106 करोड रुपए की योजना का शिलान्यास कर शुरू करवाया। पहले चरण में 106 करोड रुपए की योजना में से 76 करोड़ खर्च कर इस योजना के कार्यों को पूरा किया गया और इसमें 30 करोड़ की बचत भी की गई। तटीयकरण के दूसरे चरण में 235 करोड़ रुपए की लागत का अनुमान था जिसे 211 करोड़ रुपए से साल 2012 में पूरा कर के 24 करोड़ रुपए बचाए गए। उन्होंने कहा कि तीसरा चरण संतोषगढ़ से पंजाब की ओर का प्रेम कुमार धूमल के प्रयासों से 46.5 करोड़ की योजना के साथ शुरू हुआ, इसका बहुत अधिक कार्य किया जा चुका है और पंजाब सरकार से उसकी अनुमति भी ली गई है। अनुराग ने कहा कि चौथे चरण में स्वा नदी की सहायक 73 खंडों के चौथे चरण के लिए 922 करोड़ की योजना प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने भाजपा की सरकार में ही बनाई गई और इसे मूर्त रूप देने के प्रयास किए गए। अनुराग ठाकुर ने कहा कि इस योजना के तहत भी काफी काम हो गया है। स्वां तटीयकरण से अब तक करीब 12000 हेक्टेयर भूमि जिला ऊना में कृषि योग्य बनाई गई है, जिससे किसानों को राहत मिली है। वहीं स्वा नदी के 4 चरणों से बाढ़ का डर कम हुआ है, तबाही कम हुई है और जिला कि यह तबाही की नदी अब विकास की नई कहानी लिख रही है, जिसमें भाजपा ने जमीनी स्तर पर रह कर एक सोच को पूरा किया है। उसके बाद वर्तमान में मोदी सरकार में भी इस परियोजना का कार्य आगे बढ़ा है।

सांसद अनुराग ने कहा कि स्वां तटीयकरण की योजना के लिए भाजपा पहले भी वचनबद्ध रही है आगे भी रहेगी।

Helly Taxi में 2500 में चंडीगढ़, कुल्लू और कांगड़ा का सफर

शिमला/शैल। मात्र 2500 रुपए में चंडीगढ़ से शिमला, कुल्लू और कांगड़ा के सफर को तैयार हो जाएं। प्रदेश में

सरकार Helly Taxi Service शुरू करने जा रही है। सुकेत सदन में पत्रकार वार्ता के दौरान मुख्यमन्त्री जयराम ठाकुर ने कहा कि फिलहाल अभी तक इन्हीं रूट पर सेवा शुरू होगी, इसके बाद और भी रूट चयनित किए जाएंगे। बहरहाल, विपक्ष पर हमले बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष 100 दिन का इंतजार कर रहा है, लेकिन 100 दिन में कोई भी काम पूरे नहीं होते। विधानसभा सत्र 5 अप्रैल को खत्म हो रहा है, उसके बाद 10 अप्रैल को विपक्ष के सौ दिन पर बात करेंगे। उन्होंने कहा कि विपक्ष कहता है कि मुख्यमन्त्री दिल्ली आते जाते रहते हैं। उन्होने कहा कि केंद्र में हमारी सरकार है और नए व पुराने कामों को मंजूरी दिलाने के लिए दिल्ली में बातचीत करनी पड़ती है। अगर दिल्ली न जाएं तो नए प्रोजेक्ट और पुराने प्रोजेक्ट को मंजूर नहीं करवाया जा सकता। मुख्यमन्त्री ने कहा कि पिछली सरकार के दौर में अगर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी मदद नहीं करते तो हिमाचल प्रदेश की ट्रेजरी बंद हो जाती और एंप्लाइज को वेतन नहीं मिलता, लेकिन कांग्रेस सरकार ने जमीनी स्तर पर काम नहीं किया है। अगर उन्होंने काम किया होता तो वह दिखता। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस सरकार ने अंधाधुंध संस्थान खोल दिए हैं, यह सब काम राजनीतिक नजरिए से किए गए हैं, जबकि वह कांग्रेस का अंतिम दौर था। सीएम ने माना है कि हिमाचल प्रदेश में बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल रही है। आज मजदूर का बच्चा भी सरकारी स्कूल में पढ़ने से हाथ पीछे खींच रहा है और प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को डाला जा रहा हैं।

उन्होंने कहा कि शिमला – कुल्लू और कांगड़ा में एयरपोर्ट के विस्तार करने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। रक्षा मंत्रालय से कांगड़ा और पठानकोट के इर्द – गिर्द एयरपोर्ट स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे कश्मीर, लेह, लद्दाख और चाइना से जुड़े मुद्दों को लाभ मिलेगा, लेकिन लैंड मामले समेत अन्य मुद्दे रक्षा मंत्रालय में विचाराधीन है। उन्होंने कहा कि कुल्लू के एयरपोर्ट का विस्तार किया जा रहा है, लेकिन ब्यास नदी के चलते रिस्क काफी है, इसके लिए सत्र के बाद टेक्निकल टीम कुल्लू आएगी। मुख्यमन्त्री ने कहा कि 100 करोड़ का बजट हिमाचल प्रदेश को Helly Taxi Service शुरू करने के लिए भारत सरकार से मिला है, जिससे चंडीगढ़ से शिमला, चंडीगढ़ से कुल्लू, चंडीगढ़ से कांगड़ा के लिए सेवा शुरू होगी।

सेब के कोर रॉट रोग के निदान के लिए उचित समय

शिमला/शैल। विगत कुछ वर्षों से कोर सड़न रोग सेब की फसलोत्पादन में एक मुख्य समस्या बनकर उभरा है, जो कि सेब की फसल को 30 से 40 प्रतिशत तक प्रभावित करता है, इस रोग से अधिकतर बागवान त्रस्त हैं। इस बीमारी की वजह से प्रदेश की आर्थिकी को लगभग 720 मिलियन रुपए का नुक्सान उठाना पड़ता है। इस बीमारी के कारण न केवल बागवान बल्कि उपभोक्ताओं को भी नुकसान उठाना पड़ता है, क्योंकि प्रभावित फलों में बीमारी सुसुप्त अवस्था में रहती है जोकि सस्योत्तर प्रकट होती है। जिससे उपभोक्ता को न केवल कोर सड़न से प्रभावित फलों का अप्रिय सेवन करना पड़ता है अपितु यह फल माईकोटाक्सिन की वजह से सेहत के लिये भी हानिकारक होते हैं। गुलाबी कली अवस्था से पंखुड़ीपात के समय पर बारिश अथवा अधिक नमी इस रोग के फफूँद द्वारा संक्रमण में सहायक होती है। परागण प्रक्रिया में मधुमक्खियाँ/कीड़े फफूँद के वाहक के रूप में कार्य कर फूल के आंतरिक भागों में संक्रमण करते हैं।

गुलाबी कली अवस्था

पंखुड़ीपात अवस्था

डा. यशवंत सिंह परमार औद्यौनिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, नौणी के पादप रोग निदान विभाग के विभागाध्यक्ष डा. ए के गुप्ता और उनके

साथी वैज्ञानिक डा. भूपेश कुमार गुप्ता और डा. शालिनी वर्मा ने बताया कि इस रोग के मुख्य लक्षण ग्रस्त फलों में बीजों के साथ लगने वाले भाग में लगी उल्ली की वृद्धि के रूप में पाये जाते हैं, जिसका संक्रमण बाद में फलों के 'कोर' के साथ लगते गूदे में फैल कर शुष्क या फिर तर विगलन पैदा करता है। इस रोग की फफूँद फल में सुसुप्तावस्था में रहती है तथा फल में मिठास आने पर सड़न और तेज हो जाती है। इस रोग से ग्रसित फलों पर रंग जल्दी आ जाता है तथा वे पेड़ों से गिरने लगते हैं। फल पर बाहरी लक्षण बहुत ही सूक्ष्म होते हैं तथा जब तक फल को काट नहीं दिया जाता है तब तक बीमारी पर किसी का भी ध्यान नहीं जाता है। भंडारण के दौरान नरम, आंतरिक सड़न के रूप में फसल के बाद गीले कोर रॉट दिखाई देता है।

फल पर कोर रॉट के लक्षण

विश्वविद्यालय के अनुसंधान निदेशक डा. जे एन शर्मा, जिन्होंने इस क्षेत्र में अग्रणी अनुसंधान कार्य किए हैं, ने बताया कि सेब के बागीचों में यह रोग ज्यादातर आल्टरनेरिया आल्टरनेटा तथा ट्रायकोथीशियम रोजियम नामक फफूँदियों के संक्रमण से पनपता है।

इसकी रोकथाम के लिए सेब के बागीचों में साफ सफाई का ध्यान रखें व पेड़ों की उचित सिधाई एवं काँट छाँट करें, जिससे बागीचे में अच्छी सूर्य की रोशनी पड़े तथा हवा का उचित प्रवाह हो। पेड़ों की गुलाबी कली अवस्था पर मैंकोजेब (600 ग्राम) या जिनेब (600 ग्राम) प्रति 200 लीटर पानी का छिड़काव करें। इसके अतिरिक्त अत्यधिक संक्रमण वाले बागीचों में पंखुड़ीपात के समय पर स्कैब व पाऊडरी मिल्ड्यू की रोकथाम के लिए प्रयोग किए जाने वाले फफूँदनाशक, जैसे डायफैकोनाजोल (30 मि.ली.) या हैक्साकोनाजोल (100 मि.ली.) प्रति 200 लीटर पानी का छिड़काव लाभकारी है।

आगामी माह में पादप रोगों के लिए अन्य फलों में की जाने वाली नैदानिक सिफारिशें

गुठलीदार फलों में इस समय पर पाऊडरी मिल्ड्यू की समस्या से निपटने के लिये बैविस्टिन (100 ग्राम) तथा गोंद लगने की समस्या के लिये स्ट्रैप्टोसाईक्लिन (20 ग्राम), ब्लाईटोक्स (600 ग्राम) प्रति 200 लीटर पानी का छिड़काव करें।

आम में इस समय पाऊडरी मिल्ड्यू या सफेद चूर्णी रोग के प्रकोप से बचने के लिये हैक्साकोनाजोल (100 मि.ली) प्रति 200 लीटर पानी का छिड़काव करें।

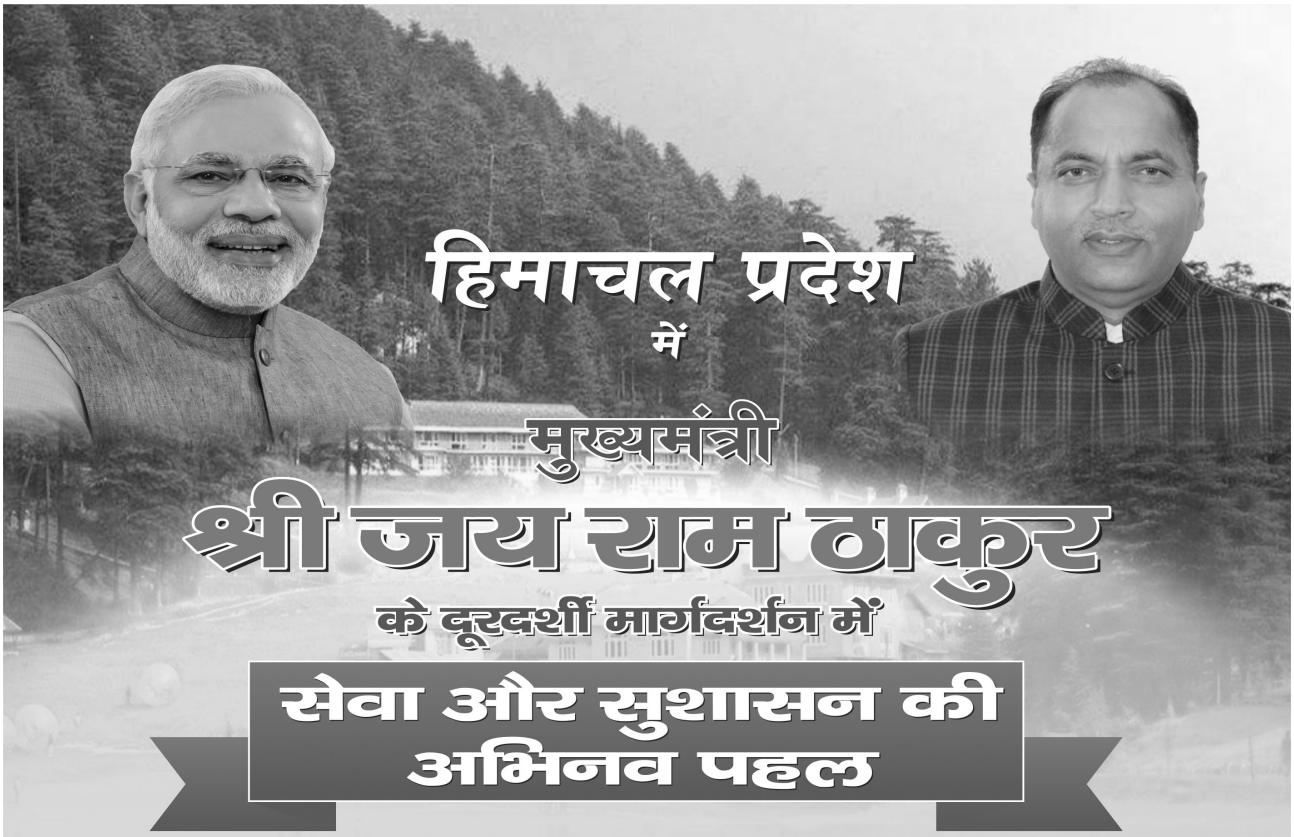

हिमाचल प्रदेश
में
मुख्यमंत्री
श्री जय राम ठाकुर
के दूरदर्शी मार्गदर्शन में
सेवा और सुशासन की अभिनव पहल

- सरकार ने भाजपा के 'स्वर्णिम हिमाचल दृष्टिपत्र–2017' को नीति दस्तावेज़ के रूप में अपनाया।
- सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत बिना किसी आय सीमा के वृद्धावस्था पेंशन प्राप्ति की आयु सीमा 80 वर्ष से घटाकर 70 वर्ष की, हज़ारों वृद्धजन लाभान्वित ।
- कर्मचारियों एवं पेंशनरों को ₹ 880 करोड़ के वित्तीय लाभ जारी। जुलाई, 2017 से 3 प्रतिशत अतिरिक्त महंगाई भत्ता और जनवरी, 2016 से 8 प्रतिशत अंतरिम राहत।
- बेसहारा पशुओं की समस्या के समाधान के लिए मंत्रिमण्डलीय उप–समिति का गठन।
- अनुबन्ध आधार पर नियुक्त महिला कर्मचारियों का मातृत्व अवकाश 135 दिन से बढ़ाकर 180 दिन किया।

शक्ति बटन ऐप : गूगल प्ले स्टोर अथवा himachal.nic.in से एंड्रोयड फोन पर शक्ति बटन ऐप डाउनलोड़ करें। संकट के समय लाल बटन दबाएं या मोबाइल को ज़ोर से हिलाएं या कहीं फेंके, 20 सेकेंड के भीतर आपका संदेश निकटतम पुलिस नियंत्रण कक्ष में पहुंच जाएगा और पुलिस सहायता के लिए सम्पर्क करेगी। इन्टरनेट कनैक्टिविटी न होने की स्थिति में भी यह ऐप कार्य करता है।

होशियार सिंह हेल्पलाइन टोल फ्री नम्बर 1090

मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा 24 घंटे इसकी निगरानी की जा रही है। वन माफिया, नशा माफिया या खनन माफिया के ख़िलाफ सूचना देने के लिए टोल फ्री नम्बर 1090 घुमाएं। आपकी सूचना गुप्त रखी जाएगी।

गुड़िया हेल्पलाइन टोल फ्री नम्बर 1515

चौबीस घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। टोल फ्री नम्बर 1515 पर मुश्किल घड़ी में सूचना दें। पुलिस तत्काल सहायता के लिए पहुँचेगी।

हिमाचल सरकार का प्रयास : सबका साथ – सबका विकास

सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, हि.प्र. द्वारा जारी

सम्पादक, प्रकाशक, मुद्रक एवं मालिक श्री बलदेव शर्मा द्वारा ऋचा प्रिंटर्ज एण्ड पब्लिशर्ज़ रिवोली बस अड्डा लक्कड़ बाज़ार शिमला से प्रकाशित व मुद्रित दूरभाष: 0177 – 2805015, 94180 – 15015 फैक्स: 2805015

क्या न्यू शिमला के ग्रीन एरिया और पार्कों में निर्माण करवाये जा सकते थे –उठा यह बड़ा सवाल

शिमला/शैल। सरकार के अपने ही बनाये हुए नियमों/ कानूनों की धज्जियां उसके अपने ही विभाग/ उपक्रम कैसे तोड़ते हैं इसका एक नग्न उदाहरण एनजीटी के उस आदेश से सामने आया है जिसमें एनजीटी ने प्रदेशभर में नये निर्माणों पर रोक लगा दी है। क्योंकि यह निर्माण तय नियमों की सीधी-सीधी अनेदखी करके हो रहे थे। एनजीटी ने अपने फैसले में साफ कहा है कि **"If such unplanned and indiscriminate development is permitted, there will be irreparatable loss and damage to the environment, ecology and natural resources on the one hand and inevitable disaster on the other"**

"Beyond the core, green /forest area and the areas falling under the authorities of the Shimla Planning Area, the construction may be permitted strictly in accordance with the provisions of the Town and Country Planning Act. Development Plan and the Municipal laws in force. Even in these areas, construction will not be permitted beyond two storeys plus attic floor."

However, if any construction particularly public utilities (buildings like hospitals, schools and offices of essential services but would definitely not include commercial, private builders and any such allied buildings) are proposed to be constructed beyond two storeyes plus attic floor then the plans for approval or obtaining NOC shall be submitted to the authorities concerned having jurisdiction over the area in question."

नियमों/कानूनों की शर्मनाक अवहेलना का दूसरा उदाहरण अब न्यू शिमला के निर्माणों में सामने आ रहा है। स्मरणीय है कि प्रदेश भर में सुनियोजित निर्माण सुनिश्चित करने के लिये 1977 में टीसीपी एक्ट पारित किया गया था जो कि पूरे प्रदेश में लागू है। इसी एक्ट की धारा 42 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए साडा का गठन किया गया ताकि आवश्यकता होने पर किसी भी आवासीय कलौनी के निर्माण के लिये सरकार जबरन भी भूमि का अधिग्रहण कर सके। इसके तहत साडा ने 1988 – 89 में शिमला में 193.5 बीघा (1,45,324.10व.मी.) भूमि का अधिग्रहण किया और 1989 में दो योजनाएं 5 और 6 घोषित कीं। योजना 5 आंशिक स्वत: पोषित थी और 6 पूरी स्वत: पोषित थी। इन योजनाओं की घोषणा के साथ पूरा प्रारूप भी जारी किया गया। इसमें कहां प्लॉट , मकान, प्लैट, पार्क, ग्रीन एरिया, व्यवसायिक परिसर, स्कूल, सड़क और अधोसंरचना से जुड़ी अन्य चीजें रहेगी इसका पूरा अलग – अलग विवरण दिखाया गया था। यह योजना घोषित होने के बाद लोगों ने इसके लिये आवेदन किये। आवेदनों के बाद आंवटन हुआ। यह योजना क्योंकि स्वत: पोषित थी तो इसके लिये आवंटितों से पूरे 1,45000 वर्ग मीटर की कीमत ली गयी है। जबकि प्लाटों के तहत केवल 29950 वर्ग मीटर एरिया ही है और बिक्री योग्य कुल एरिया 74213 वर्ग मीटर चिन्हित किया गया था। इससे स्पष्ट है कि शेष एरिया सड़क, पार्क और ग्रीन तथा अन्य अधोसंरचना के लिये था। लेकिन आवंटितों से पूरी ज़मीन की वह कीमत जो इसके मूल मालिकों को मुआवजे के रूप में दी गयी और इसके हर तरह के विकास पर आयी कीमत के साथ 10% प्रशासनिक खर्च और निर्माण लागत तथा निर्माण पर हुए निवेश पर लगा ब्याज आदि सब कुछ वसूल किया गया। बल्कि अदालत के रिकार्ड पर तो यहां तक आ चुका है कि हिमुडा ने आवंटितों से आये पैसे को अन्यत्र निवेश करके 12.38 करोड़ का ब्याज तक कमा लिया है। शुरू में आवंटितों से इसकी कीमत 800 रू0 वर्ग मीटर ली गयी लेकिन बाद में बढ़ाकर 1415 रूपये वसूल की गयी। यही नही इसके बाद 613 रूपये वर्ग मीटर और मांगे गये जिसके विरोध में यहां के आवासीयों की वेल्फेयर सोसायटी उच्च न्यायालय गयी और तब अदालत ने यह ज्यादती रोकी और यह सामने आया कि हिमुडा ने तो 12.38 करोड़ का ब्याज तक कमा लिया है। इस सारे विवरण से स्पष्ट हो जाता है कि इस कालोनी की भूमि के मालिक इसके आवंटित है न कि हिमुडा।

इस कालोनी के लिये ज़मीन का अधिग्रहण साडा ने किया था जो अब हिमुडा बन गया है लेकिन 1998 में हिमुडा से इसे नगर निगम को हस्तारित कर दिया गया है। इस हस्तांतरण में नगर निगम को इसका मालिक बना दिया गया है। कानून के मुताबिक तो हिमुडा इसका ट्रस्टी है मालिक नही। फिर जो स्वयं ही मालिक नही है वह दूसरे को इसके मालिकाना हक कैसे ट्रांसफर कर सकता है यह एक और बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। इसके अतिरिक्त हिमुडा ने कई लोगों को पार्क और ग्रीन एरिया में निर्माणों की अनुमति दे रखी है जो कि नियमों/कानूनों की खुली अवेहलना है। क्योंकि इसका जो विकास का प्लान एक बार स्वीकृत हो चुका है उसमें कतई बदलाव नही किया जा सकता है। इसमें नियमों/कानूनों की अवहेलना और विशेष रूप से Development Plan की उल्लघंना को लेकर उच्च न्यायालय में एक याचिका विचारधीन चल रही है। इसमें अदालत ने 16.10.2017 को यह आदेश पारित किया था All plans lying with the authorities be it HIMUDA/Department of Town and Country Planning or Municipal Corporation Shimla shall be made available for inspection of all the parties on 22nd November 2017 when the matter is listed before the Additional Registrar (Judicial) लेकिन अब जब 20 मार्च को यह मामला फिर सुनवाई के लिये लगा तब यह प्लान अदालत में नही रखा गया। उच्च न्यायालय ने 15.01.2013 को CMP No. 16245/2012. ग्रीन एरिया में निर्माण पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था Heard. Respondents are restrained from raising any further construction over the green area in New shimla. We, however make it clear that the construction already raised will abide by the outcome of the writ petition "

लेकिन इस आदेश के बाद ब्लॉक 50 A और 50 B के 1250 वर्ग मीटर ग्रीन एरिया में 16 फ्लैटस बना दिये गये हैं। आरटीआई में 29.05.2017 को Development Plan की कॉपी मांगी गयी थी लेकिन इसके जवाब में प्लान की जगह टीसीपी अधिनियम के अध्याय चार और पांच की फोटो कॉपी भेज दी गयी। जबकि CWP 669 of 1994 में उच्च न्यायालय के फैसले में यह रिकार्ड पर आ चुका है कि Our attention is drawn to two plans, The plan which was originally published along with the original scheme and the plan which was later approved by the authorities after the adjustments were made. लेकिन अब इस प्लान को अदालत के सामने न आने देने के प्रयास किये जा रहे हैं। जबकि 28.04. 2012 हिमुडा स्वयं नगर निगम को यह नोटिस दे चुका है कि वह ग्रीन एरिया में शौचालय का निर्माण कर रहा है।

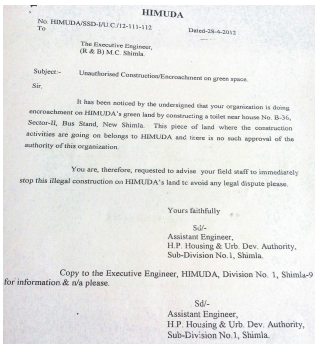

HIMUDA

No. HIMUDA/SSD-I/U.C./12-111-112 Dated-28-4-2012

To,

The Executive Engineer,
(R & B) M.C. Shimla.

Subject:- Unauthorised Construction/Encroachment on green space.

Sir,

It has been noticed by the undersigned that your organisation is doing encroachment on HIMUDA's green land by constructing a toilet near house No. B-36, Sector-II, Bus Stand, New Shimla. This piece of land where the construction activities are going on belongs to HIMUDA and there is no such approval of the authority of this organization.

You are, therefore, requested to advise your field staff to immediately stop this illegal construction on HIMUDA's land tc avoid any legal dispute please.

Yours faithfully

Sd/-
Assistant Engineer,
H.P. Housing & Urb. Dev. Authority,
Sub-Division No.1, Shimla.

Copy to the Executive Engineer, HIMUDA, Division No. 1, Shimla-9 for information & n/a please.

Sd/-
Assistant Engineer,
H.P. Housing & Urb. Dev. Authority,
Sub-Division No.1, Shimla.

अब सरकार और नगर निगम के लिये एक ऐसी स्थिति खड़ी हो गयी है कि एक ओर तो इस कालोनी में कुछ लोगों को व्यवसायिक गतिविधियों को चलाने के लिये अनुमतियां प्रदान की गयी हैं जिन्हें दिखाने के लिये जारी किये गये नोटिसों में कहा गया है। लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह खड़ा होता है कि जब इस कालोनी के निर्माण की योजना के प्रारूप में ही व्यवसायिक गतिविधियों के लिये अलग से स्थान चिन्हित थे तो फिर रिहायशी मकानों/फ्लैटों में ऐसी गतिविधियों की अनुमति कैसे दी जा सकती थी? इसके स्वीकृत प्लान में भू-उपयोग के बदलाव की अनुमति कैसे दी जा सकती थी क्योंकि इसी प्लान से आकर्षित होकर तो लोगों ने यहां पर प्लाट/मकान/ फ्लैट लिये। इस परिदृश्य में हिमुडा से लेकर नगर निगम तक का सारा प्रबन्धन ग्रीन एरिया और पार्क एरिया में निर्माणों का दोषी होने के साथ ही इसके लिये भी दोषी है कि यहां पर कुछ लोगों को भू-उपयोग बदलने की अनुमतियां कैसे दे दी गयी। बल्कि लॉईन्ज़ क्लब को 13.06.12 को 300 वर्गमीटर जगह दी गई लेकिन यह क्लब अभी तक कहीं नही है।

इस तरह एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि जिन लोगों ने व्यवसायिक गतिविधियां चला रखी हैं उन्हे दण्डित करने के साथ ही क्या संवद्ध प्रशासन को भी दण्डित किया जायेगा जिसने अपने ही बनाये नियमों/ कानूनों की धज्जियां उड़ाई हैं? क्या सारा प्रबन्धन नौकरशाहों और राजनेताओं को लाभ देने के लिये इस तरह के कारनामों को अन्जाम दे रहा था। क्योंकि इस कालोनी में कई वर्तमान और पूर्व नौकरशाहों से लेकर वीरभद्र और जयराम ठाकुर तक भू-उपयोग बदलने वालों में शामिल हैं।

अब आसान नही होगा आऊटसोर्स कर्मचारियों को निकालना

शिमला/शैल। प्रदेश के प्रशासनिक ट्रिब्यूलन नगर पंचायती राज विभाग में 2014 में आऊटसोर्स के माध्यम से रखे गये कर्मचारी ओबेस खान की याचिका पर फैसला देते हुए यह व्यवस्था थी कि ऐसे कर्मचारी को नौकरी से तब तक नही निकाला जा सकता जब तक कि जिस स्कीम के तहत उसे रखा गया हो वह स्कीम जारी रहे और उसके लिये धन उपलब्ध होता रहे। ओबेस खान को पंचायती राज विभाग में केन्द्र प्रायोजित स्कीम आरपीजीएसए के तहत 2014 में सलाहकार रखा गया था। लेकिन 2015 में उसे निकाल दिया गया। जबकि इसी योजना के तहत एक अधीक्षक ग्रेड – II श्रीमती विपाशा भोटा की सेवाओं को जारी रखा गया। ओबेस खान ने अपने निष्कासन को ट्रिब्यूनल में चुनौती दी और आरटीआई के माध्यम से श्रीमति विपाशा भोटा को दिये गये वेतन आदि की जानकारी हासिल की। आरटीआई में मिली सूचना में यह सामने आया कि उसे इसी योजना से 2014 – 15 और 2015 – 16 का वेतन दिया गया है और यह योजना अब तक जारी है तथा केन्द्र से इसके लिये धन मिलना जारी है।

इस जानकारी से जब यह स्पष्ट हो गया कि योजना भी जारी है धन भी मिल रहा है तथा अन्य कर्मचारी भी इसके तहत काम कर रहे हैं तब बिना किसी ठोस कारण के एक कर्मचारी को निकाल देना सीधे – अन्याय है। ट्रिब्यूनल ने इस जानकारी का कड़ा संज्ञान लेते हुए ओबेस खान को न केवल नौकरी में बहाल किया बल्कि जिस दिन से उसे निकाला गया तब से अब तक का वेतन देने के भी आदेश दिये हैं। ओबेस खान की याचिका में मुख्य सचिव, प्रधान सचिव पंचायती राज एवम् ग्रामीण विकास निदेशक पंचायती राज तथा भारत सरकार के पंचायती राज मन्त्रालय को प्रतिवादी बनाया गया था। यह याचिका 2015 में दायर हुई थी और इस पर 27.02.2018 को फैसला आया है। इस दौरान प्रदेश में आऊटसोर्स पर रखे गये करीब 30,000 कर्मचारी अपने नियमितकरण और उनके लिये एक पॉलिसी लाये जाने के लिये संघर्ष करते रहे हैं। विधानसभा सदन तक भी यह मामला पहुंचा है। सरकार ने इसमें कुछ नये दिशा निर्देश भी 2017 में जारी किये हैं। आऊटसोर्स कर्मचारियों को नियमित करना वर्तमान नियमों/कानूनो के तहत संभव नही लेकिन अब इस फैसले के बाद उन्हें आसानी से नौकरी से निकालना संभव नही होगा।

इस समय राज्य सरकार से लेकर केन्द्र सरकार तक ने हज़ारों कर्मचारी आऊटसोर्स के माध्यम से रखे हुए हैं। आऊटसोर्स के तहत रखे गये कर्मचारी मूलत: सीधे सरकार द्वारा नही रखे जाते हैं। बल्कि किसी कंपनी या ठेकेदार को कोई सेवा या योजना निष्पादन के लिये ठेके पर दे दी जाती है जिसके लिये वह अपनी ईच्छा से कर्मचारियों की भर्ती करता है। सरकार की तरह इसके लिये वह किसी चयन प्रक्रिया की औपचारिकता नही निभाता है। इस कारण से ऐसे कर्मचारियों को कभी भी नौकरी से निकाल दिये जाने का भय बना रहता था जो इस फैसले से समाप्त हो जाता है। आने वाले समय में इस फैसले के कई दूरगामी परिणाम और प्रभाव सामने आयेंगे।